UPME010027052012

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, मेरठ।
उपस्थितः राकेश कुमार–पंचम ... ... (एच 0 जे0 एस 0)
JO Code No- UP-6155

1– सत्र परीक्षण संख्या – 1190 सन् 2012

राज्य बनाम हर्षित पुत्र सुरेश कुमार वर्मा, निवासी प्रभात नगर, जे०पी० अस्पताल के पास, थाना सिविल लाईन, जिला मेरठ।

धारा :– 306 भा०द०स०
मु०अ०सं० :– 294 सन् 2012
थाना :– सदर बाजार, जिला मेरठ।

एवं

UPME010061932014

2– सत्र परीक्षण संख्या – 256 सन् 2014

राज्य बनाम
1. श्रीमती बीना पत्नी सुरेश कुमार वर्मा,
2. सुरेश कुमार वर्मा पुत्र शिवदत्त वर्मा,

निवासीगण निवासी प्रभात नगर, जे०पी० अस्पताल के पास, थाना सिविल लाईन, जिला मेरठ।

धारा :– 306 भा०द०स०
मु०अ०सं० :– 294 सन् 2012
थाना :– सदर बाजार, जिला मेरठ।

उपस्थित :– राज्य की ओर से विद्वान सहा० जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) श्री शिवम गुप्ता एवं वादी मुकदमा स्वंय विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र मलिक, एडवोकेट।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल जब्बार खान, एडवोकेट व श्री राजकुमार गुजर्र, एडवोकेट

निर्णय

1– अभियुक्त हर्षित का सत्र परीक्षण सं०–1190 सन् 2012 धारा 306 भा०द०स० एवं अभियुक्तगण श्रीमती बीना व सुरेश कुमार वर्मा का सत्र परीक्षण सं०–256 सन् 2014 धारा 306 भा०दं०सं०, थाना सदर बाजार, जिला मेरठ के द्वारा प्रेषित पृथक–पृथक आरोप पत्र के आधार पर विचारण किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित दोनों सत्र परीक्षण एक ही घटना से अन्तर्संमबन्धी हैं जिस कारण उक्त दोनों सत्र वादों को आदेश दिनांकित 19.08.2015 के माध्यम से एकीकृत किया गया तथा सत्र परीक्षण सं०–1190 सन् 2012 को अग्रणी वाद घोषित किया गया है और उक्त दोनों वादों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

क्रम संख्या	**घटना की दिनांक**	**घटना का विवरण**
1.	दि० 23–06–2012 की शाम से दि० 24–06–2012 समय 11:00 बजे तक दिन	अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विरेन्द्र मलिक एड़वोकेट द्वारा एक तहरीर इस आशय की दिनांक 24.06.2012 को थाना सदर बाजार , मेरठ में प्रस्तुत की गयी कि उसकी बेटी दिनांक 23.06.2012 की शाम को रोजाना की तरह अपने कमरे में पढ़ने चली गयी। देर रात तक पढ़ने के उपरान्त वह रोज देर से उठती थी। दिनांक 24.06.2012 को जब वह 11.00 बजे तक नहीं उठी तो उसने (प्रार्थी) आवाज लगाई। अन्दर से बन्द उसके दरवाजे को पीटा किन्तु कोई आवाज नहीं आई। मजबूरन अनहोनी की आशंका से उसने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि उसकी बेटी पंखे पर अपने कमरे में चुन्नी से फंदा लगाकर लटकी हुई है। वह यह देखकर आवाक रह गया। उसने देखा कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसने अपनी बेटी के गले में लगा फंदा खोला तथा इधर उधर देखने पर उसको अपनी बेटी के हाथ से लिखा सुसाईड़ नोट मिला जिसमें लिखा था कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ हर्षित पुत्र सुरेश, निवासी प्रभात नगर, थाना सिविल लाईन, जे०पी० हॉस्पिटल के सामने मेरठ का रहने वाला है। हर्षित व हर्षित के परिवार वाले उसके माँ बाप सभी उसकी बेटी की मौत के जिम्मेदार हैं। समझाने के बाद भी इन सभी ने उसकी बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मौके पर नवीन गोयल भी प्रार्थी के घर पर था। अतः मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।
2.	दिनांक व समय जब	वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सदर

	रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। 24.06.2012 समय13:30 बजे	बाजार, जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 294 सन 2012, धारा 306 भा०द०स० के अंतर्गत अभियुक्तगण हर्षित व हर्षित के माता पिता नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्वेषण हेतु मुकदमा अन्वेषण अधिकारी को सुपुर्द किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसका नक्शा नजरी तैयार किया तथा गवाहान के बयान लेखबद्ध किये।
3	आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान की तिथि **11—10—2012** आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान की तिथि **07—12—2013**	प्रश्नगत केस में विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हर्षित पुत्र सुरेश कुमार वर्मा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक के द्वारा धारा 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत केस में विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण श्रीमती बीना पत्नी सुरेश कुमार वर्मा व सुरेश कुमार वर्मा पुत्र शिवदत्त वर्मा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये धारा 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत पृथक रूप से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा प्रेषित आरोप पत्रों के आधार पर उक्त वाद पर न्यायिक प्रसंज्ञान लिया गया, अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण हर्षित पुत्र सुरेश कुमार वर्मा, श्रीमती बीना पत्नी सुरेश कुमार वर्मा व सुरेश कुमार वर्मा पुत्र शिवदत्त वर्मा न्यायालय हाजिर आये, उन्हें धारा 207 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गयीं। तदोपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश दिनांकित 17.11.2012 व 07.02.2014 के माध्यम से क्रमशः अभियुक्त हर्षित व श्रीमती बीना तथा सुरेश कुमार के प्रश्नगत प्रकरण **सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किये गये।** प्रश्नगत प्रकरण अन्तरण के माध्यम से इस न्यायालय को परीक्षण हेतु प्राप्त हुए हैं।
4	**सत्र परीक्षण सं० 1190 सन 2012 में आरोप विरचन की तिथि** 12–06–2013 **सत्र परीक्षण सं०** 256 सन 2014	न्यायालय उपस्थित आने पर अभियुक्त हर्षित के विरूद्ध विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। जिससे अभियुक्त हर्षित ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की न्यायालय उपस्थित आने पर अभियुक्तगण श्रीमती बीना व सुरेश कुमार वर्मा के विरूद्ध विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा

	में आरोप विरचन की तिथि 03–07–2015	306 भा०दं०सं० के अंतर्गत पृथक रूप से आरोप विरचित किया गया। जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।
5		**अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य।**
	प्रदर्श क–01	लिखित तहरीर
	प्रदर्श क–02	पोस्टमार्टम रिपोर्ट (बाबत मृतका जूही मलिक)
	प्रदर्श क–03	नक्शा नजरी
	प्रदर्श क–04	पंचनामा (बाबत मृतका जूही मलिक)
	प्रदर्श क–05	आरक्षक प्रपत्र
	प्रदर्श क–06	चिठ्ठी आर०आई०
	प्रदर्श क–07	फोटो नाश
	प्रदर्श क–08	चिठ्ठी सी०एस०ओ०
	प्रदर्श क–09	नमूना मोहर
	प्रदर्श क–10	फर्द बरामदगी (बाबत चुन्नी, सुसाईड़ नोट व टूटा कुंदा)
	प्रदर्श क–11 ता क–13	सी०ड़ी०आर०
	प्रदर्श क–14	रवानगी जी०ड़ी०
	प्रदर्श क– 15	चिक एफ० आई0
	प्रदर्श क– 15	आरोप पत्र (बाबत अभियुक्त हर्षित)
	प्रदर्श क–16	आरोप पत्र (बाबत अभियुक्तगण श्रीमती बीना व सुरेश कुमार वर्मा)
6		**अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य**
	वस्तु प्रदर्श–01 ता वस्तु प्रदर्श–03	मृतका द्वारा हस्तलिखित 03 पृष्ठों की ड़ायरी नोटस ।
	वस्तु प्रदर्श–4	मोबाइल फोन
	वस्तु प्रदर्श–5	सिमकार्ड
	वस्तु प्रदर्श–6	माल पुलन्दिा
	वस्तु प्रदर्श–7	सुसाईड नोट
	वस्तु प्रदर्श–8	कागज
	वस्तु प्रदर्श–9	माल पुलन्दिा
	वस्तु प्रदर्श–10	लोहे की कुण्डी
	वस्तु प्रदर्श–11	चुन्नी
	वस्तु प्रदर्श–12	पुलिन्दा
7		**अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**
	पी०डब्लू०–01	विरेन्द्र मिलक

	पी०डब्लू०–02 पी०डब्लू०–03 पी०डब्लू०–04 पी०डब्लू०–05 पी०डब्लू०–06 पी०डब्लू०–07 पी०डब्लू०–08	श्रीमती गीता मलिक नवीन गोयल दुर्गपाल सिंह ड़ा० संजीब कुमार शर्मा ड़ा० देवी दास, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से०नि० उ०नि० भूषण चन्द मलिक(विवेचक) से०नि० है०का० जनड़ेल सिंह
8	**दि0 22.01.2019**	अभियुक्तगण का बयान **<u>अंर्तगत धारा 313 द0प्र0सं0</u>** अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण के द्वारा घटना से इंकार किया गया तथा उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलाये जाने का कथन किया गया। अभियुक्त हर्षित द्वारा कथन किया गया है कि उसका व जूही का प्रेम प्रसंग था वे दोनों साथ साथ घूमते फिरते थे। जूही की मम्मी को सब पता था। वह भी शादी के लिए राजी थी केवल जूही के पिता नाराज थे। वह, जूही और उसकी मम्मी छोटे बच्चे के साथ वैष्णों देवी घूमने के लिए गए थे। कथित घटना वाली रात को जूही ने उससे लगभग 03.30 बजे तक बातचीत की थी। उस समय भी जूही ने उससे आशंका जाहिर की थी कि अगर पिता को पता चल गया तो उसकी हत्या कर देंगे। उसके व जूही के प्रेम प्रसंग उनके दोस्तों को भी पता थे। जूही ने दो दिन पहले रिशु शर्मा को बतायी थी कि वे लोग शादी करने वाले हैं। जूही के पिता ने अपने दोस्त नवीन गोयल के साथ मिलकर जूही की हत्या कर दी और फर्जी तरीके से आत्महत्या का केस बनाया और फर्जी सुसाईड़ नोट तैयार किया। अभियुक्ता बीना द्वारा धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान में कथन किया गया है कि जूही व हर्षित की शादी से उन्हें कोई एतराज नहीं था। जूही की मम्मी को भी कोई एतराज नहीं था लेकिन जूही के पापा नहीं करना चाहते थे। घटना के समय उसके पति घर पर नहीं थे। श्रीनगर में थे। जूही के पिता ने स्वयं जूही की हत्या कर उन्हें आत्महत्या के झूठे केस में फंसा दिया। इसी प्रकार सुरेश चन्द द्वारा कथन किया गया है कि वह घटना वाली दिनांक से 15.06.2012 को श्रीनगर व जम्मू गया था जहाँ पी० एंड आर० इंजी० सर्विस प्राईवेट लि० पर नियुक्ति हो गयी थी। दिनांक 17.06.2012 को ज्वाईन किया था तथा दिनांक 24.06.2012 तक वहीं था और उसी दिन घर से सूचना मिलने पर वापस चला गया था और 26.06.2012 को मेरठ पहुँचा था। वादी ने अपनी बेटी को स्वयं हत्या कर झूठा केस बनाया है। घटना से पहले वादी ने उसे धमकी दी थी और कहा था कि अपने लड़के को रोक लो। तुम्हारे लड़के को काट दूँगा

		और अपनी लड़की को भी काट दूँगा जिस पर उसने कहा था कि आपने भी तो जूही की मम्मी से इन्टर कास्ट मैरिज की है। शादी हो जाने दो तुम्हारी पत्नी तैयार है।
9	ड़ी०ड़ब्लू०–1 ड़ी०ड़ब्लू०-2 ड़ी०ड़ब्लू०-3	**<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य</u>** सेवानिवृत ब्रिगेडियर सुभाष चन्द जौहर सुभाष चन्द गुप्ता सुभाष कुमार अग्रवाल
10		**<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य</u>** अभिलेखीय साक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से मृतका द्वारा लिखित प्रपत्रों की प्रति कागज सं०-38 क 1 ता 38 क 7 व सूची 53 ख से कागज सं०-54 ख पत्र दिनांकित 25.05.2010 द्वारा जूही मलिक लिखित मूल प्रति, कागज सं०-55 ख सी०ड़ी० मूल-1 जो जूही मलिक (मृतका) के घर की है, कागज सं०-56 ख सी०ड़ी० में रिकॉर्ड़िग की गयी बातचीत का ब्योरा पृष्ठ सं०-1, कागज सं०-57 ख फोटो क्रमशः 1 ता 9 मूल जो 5 पृष्ठों पर है। साथ ही साथ बचाव पक्ष की ओर से हस्तलेख विशेषज्ञ का आख्या जिसे डी० ड़ब्लू०-2 द्वारा प्रदर्श ख 1 के रूप में साबित किया गया है। कागज सं०-86 ख 1 लगायत 86 ख 20 के रूप में दाखिल की गयी है।

3– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 विरेन्द्र मलिक, जो प्रश्नगत अभियोग का वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि हाजिर अदालत मुलजिमान हर्षित, श्रीमती बीना व सुरेश को वह जानता है। वह इस घटना से पहले मौहल्ला प्रभात नगर में रहता था। वहां ये लोग उसके पड़ोसी थे तथा उसे अच्छी तरीके से याद है दिनांक 23.06.2012 की शाम को उसकी बेटी जूही मलिक उम्र करीब 17 वर्ष रोजाना की तरह अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली गई थी। वह देर रात तक पढ़ने के बाद हर रोज सुबह देर से उठती थी। अगले दिन सुबह 24.06.2012 को उसके पास उसके जानकार नवीन गोयल समय करीब 09:00 बजे सुबह आए थे। वह और उसकी पत्नी गीता मलिक व नवीन गोयल उसके मकान के बाहर वाले कमरे में बैठे हुए बात कर रहे थे और बात करते हुए काफी समय हो गया तो उसका ध्यान दीवार पर लगी घड़ी पर गया उसने देखा कि 11:00 बजने को हैं। उसने कहा कि उसकी बेटी जूही अभी तक नहीं उठी है और वह उसे जगाने के लिए उसके कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और आवाज लगाई उसकी बेटी के कमरे का दरवाजा उसके दस्तक देने व आवाज लगाने के बाद जब उसकी बेटी नहीं बोली तो वह दरवाजा पीटते हुए जोर–जोर से अपनी बेटी को आवाज लगने लगा। उसकी आवाज सुनकर कमरे में बैठी उसकी पत्नी गीता मलिक व नवीन गोयल भी आ गए और वे भी उसके साथ आवाज लगाने लगे किंतु जोर–जोर से आवाज लगाने व दरवाजा पीटने के बाद भी जब उसकी बेटी के कमरे के अंदर से उसकी बेटी की कोई आवाज नहीं आई तो अनहोनी की आशंका से घबराकर वह धक्का मार कर दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगा। बार–बार धक्का मारने से

ऊपर से बंद दरवाजे में डेकचून की चटकनी टूट गई और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही वे तीनों यह देखकर दंग रह गए। उसने देखा कि उसकी बेटी अपने कमरे में लगे छत के बिजली के पंखे से चुन्नी से अपने गले में फांसी लगाकर लटकी हुई है। उसने अपनी पत्नी व नवीन गोयल की मदद से अपनी पुत्री के गले से उसके जिंदा होने की आश में उसे डॉक्टर के पास ले जाने के उद्देश्य से हाथ से फंदा खोला और फंदा खोलकर नीचे उतार कर बेड पर लिटाया तो उसने देखा कि उसकी बेटी दम तोड़ चुकी थी। उसके घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था क्योंकि उसकी समझ में यह बिल्कुल नहीं आया कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। इधर–उधर देखने पर किताबों में कॉपी में ढूंढने पर उसे उसकी बेटी के बैड पर से किताब में रखा उसका हाथ का रखा सुसाइड नोट मिला जिसको पढ़ने से उसे पता चला कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार हर्षित पुत्र सुरेश कुमार, निवासी प्रभात नगर है उसकी नजरों में हर्षित के साथ उसका बाप सुरेश व मां श्रीमती बीना भी उतने ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उन पति पत्नी के समझाने के बावजूद भी वे नहीं माने और न ही उन्होंने अपने लड़के को रोका। इस घटना की तहरीर रिपोर्ट उसने स्वयं लिखकर उसी दिन थाने पर दी थी। गवाह को शामिल मिशल तहरीर रिपोर्ट कागज सं०–अ 5 पढ़कर सुनाई व दिखाई गई तो उसने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने अपनी बेटी की मृत्यु के संबंध में स्वयं लिखकर थाने पर दी थी जिसे इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–01 के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि उसकी बेटी के शव का पंचनामा भी उसके समक्ष पुलिस ने तैयार किया था जिस पर पंच के तौर पर उसने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि की सुसाइड नोट, दरवाजे की टूटी चटकनी/कुन्दा पुलिस ने कब्जे में लेकर उसकी फर्द उसके सामने तैयार की थी। घटना के पश्चात उसकी बेटी जूही की किताबों की तलाशी लेने पर अंग्रेजी में उसकी बेटी जूही के हाथ से लिखे तीन पत्र क्रमशः कागज सं०–अ/12/2 व 3 व 4 मिले जो शामिल मिशल उसके सामने हैं। उसने अपनी बेटी जूही के हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की। इस साक्षी द्वारा उक्त प्रपत्रों को वस्तु प्रदर्श –01, 02 व 03 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया है की घटना के साल उसकी बेटी जूही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में साइंस की कक्षा 12 की छात्रा थी। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर यह भी कथन किया गया है कि उसे नहीं पता कि हर्षित उसकी पुत्री से किस प्रकार मिला और किस प्रकार उसने उसकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे शादी का झांसा देकर गुमराह कर उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करता रहा। घटना से पहले उसकी पत्नी, उसकी बेटी जूही व बेटे विराट के साथ माता वैष्णो देवी गयी थी तथा हर्षित उसकी बेटी का पीछा करते हुए वैष्णो देवी तक गया था तथा उसके पीछे साए की तरह लगा रहा था। वहां से आकर यह बात उसे उसकी पत्नी व बेटी जूही मलिक ने बताई थी जिस पर वह तथा उसकी पत्नी गीता मलिक हर्षित के घर पर गए थे, इससे पहले भी वह तथा उसकी पत्नी हर्षित के उनकी बेटी से मिलने जुलने को रोकने के लिए उसके मां–बाप को समझने के लिए उसके घर पर गए थे। उन्होंने सारी बातें बताते हुए हर्षित के पिता सुरेश व मां बीना से उनके बेटे हर्षित को उनकी बेटी जूही मालिक से मिलने के लिए रोकने के लिए समझाया था, जिस पर हर्षित के माता–पिता ने कहा कि जूही अभी नाबालिक है उनका बेटा और जूही आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं उनकी शादी कर दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब उसने कहा था कि उनकी बेटी अभी नासमझ है अभी ऐसी बातें ना करें और अपने बेटे हर्षित को उनकी बेटी से मिलने से रोंके और पढ़ाई की और उसका ध्यान लगाए किंतु हर्षित के माता–पिता ने

हर्षित को उनकी बेटी से मिलने से नहीं रोका और हर्षित उनकी बेटी से चोरी छिपे मिलता रहा और फोन पर बातें करता रहा। हर्षित व हर्षित के माता–पिता ने उसकी बेटी को बहला फुसला कर गुमराह कर हर्षित से शादी का झांसा देकर उसकी पढ़ाई से उसका रुझान हटा दिया था। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि उसकी बेटी जूही मलिक का पूरा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया गया। हर्षित उसकी बेटी के संपर्क में आया तब से उसकी बेटी बहुत उदास रहती थी। उसकी बेटी के उदास रहने पर उसने व उसकी पत्नी ने अपनी बेटी से बहुत प्यार से पूछा जिस पर उसकी बेटी ने बताया था हर्षित नाम का लड़का उससे प्यार करता है तथा शादी करना चाहता है लेकिन उसने उसे अब धोखा दे दिया है। उनके यह पूछने पर उसने क्या धोखा दिया है तो उनकी बेटी ने कुछ नहीं बताया तब उसने व उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाया तथा उसे ऐसी बातों से मन हटाकर पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा जिस पर उनकी बेटी मान गई। इसके बाद फिर वे दोनों पति पत्नी हर्षित के घर गए और उन्हें अपने बेटे को समझाकर उनकी बेटी जूही से अलग रहने को कहा था किंतु हर्षित नहीं माना वह बराबर उसकी बेटी से मिलता रहा और उसे गुमराह करता रहा। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि तफतीश के दौरान बयान लेने के बाद भी दरोगा जी उसके पास आए थे उन्होंने उसकी बेटी का फोन नंबर पूछा और फोन देने को कहा उसकी बेटी का मोबाइल नंबर 9997222370 व दूसरा नंबर 8810070705 था इसका नंबर उसे अपनी बेटी का मोबाइल ढूंढने के दौरान उसके बैड के पास लगे बैग से मिला था। उसे व उसकी पत्नी को मोबाइल व मोबाइल नंबर की जानकारी नहीं थी क्योंकि वह मोबाईल फोन उन्होंने अपनी बेटी को नही दिलाया था। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर यह भी कथन किया गया है कि घटना की रात हर्षित, उसके पिता सुरेश व माता उसकी बेटी से फोन पर क्या–क्या कहकर किस दुष्प्रेरण के तहत उसको उत्प्रेरित किया जिससे उसकी बेटी ने उनके उकसाने में आकर आत्महत्या करके अपने प्राण दे दिए। हर्षित व उसके पिता सुरेश व माता श्रीमती बीना उसकी बेटी से फोन पर बात करते थे। वे उसकी बेटी को बहला फुल कर अपने घर भी बुलाते थे, यह बात उसे रिशु वर्मा ने जो पहले उसके साथ ही प्रभात नगर वाले मकान पर किराए पर रहा करता थे तथा उनसे उसके पारिवारिक संबंध थे जो वर्तमान में एल०आई०सी० कॉलोनी के फ्लैट में रहते हैं। विशु वर्मा उसकी बेटी को अपनी बहन मानता था। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जूही घटना से तीन–चार दिन पहले भी हर्षित व उसके मां–बाप के बुलाने पर उनसे मिलने हमसे चोरी छिपे उनके घर गई थी। जूही ने रिशु को भी बताया था कि वह हर्षित से शादी करने वाली है जिसके लिए सब राजी हैं किंतु जब जूही हर्षित के घर गई तो हर्षित के पिता सुरेश ने अपने बेटे हर्षित की शादी किसी अन्य लड़की से करने की बात उसकी बेटी से कही थी जिसेसे जूही नाराज हुई थी तथा उसने हर्षित वह उसके माता–पिता से अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो हर्षित ने अपने मां–बाप के सामने उसकी बेटी जूही को थप्पड़ मारा था। घटना से तीन–चार दिन पहले उसकी बेटी के हर्षित के घर पर जाने व हर्षित द्वारा उसे थप्पड़ मारने की बात उसकी बेटी ने उसकी पत्नी को बताई थी। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसकी जानकारी में यह भी आया है कि हर्षित के पिता सुरेश वर्मा शातिर किस्म के व्यक्ति हैं तथा वह मनसब गिरोह के डकैतों से डकैती में लूटे गए सामान को खरीदे जाने के कारण जेल में रह चुके हैं। उसकी बेटी के हाथों से लिखे तीन पत्र पत्रावली पर मौजूद हैं जो उसकी मौत के बाद उसकी किताबों से मिले थे, से स्पष्ट है कि हर्षित और उसके पिता सुरेश व माता बीना ने उसकी बेटी को झांसा देकर हर्षित से प्यार

करने के नाम पर किस हद तक दुष्प्रेरण के तहत उसे उत्प्रेरित किया कि उसकी बेटी को प्यार नाम के शब्द के साथ साथ लड़कों से भी नफरत हो गई थी और उसकी बेटी ने इन सभी के उकसावे में आकर उन्हें बिना कुछ बताएं आत्महत्या कर ली। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से मोबाइल को वस्तु प्रदर्श–04, सिम को वस्तु प्रदर्श–05, माल पुलिन्दा वस्तु प्रदर्श–05, सुसाइड नोट को वस्तु प्रदर्श–07 ता 8, माल पुलिंदा को वस्तु प्रदर्श–09, लोहे की कुंडी को वस्तु प्रदर्श–10, चुन्नी को वस्तु प्रदर्श–11, पुलिंदे को वस्तु प्रदर्श–12 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

4– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2, श्रीमती गीता मलिक जो मृतका जूही मलिक की माता हैं, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि उसकी बेटी जूही मलिक घटना से पहले आर्मी स्कूल में कक्षा 12 में पढ़ती थी। हाजिरी कम होने की वजह से उस वर्ष वह परीक्षा नहीं दे पाई थी। घटना के वर्ष उसने उसे गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 में विज्ञान वर्ग में प्रवेश दिलाया था, पर पता नहीं क्यों उसकी बेटी पहले की तरह प्रसन्न नहीं रहती थी। वे दोनों पति–पत्नी उसके उदास रहने का कारण कई बार उससे पूछा करते थे परंतु उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन उन दोनों पति–पत्नी ने उसे अपने पास बैठा कर बड़े प्यार से पूछा तो उसने बताया कि हर्षित पुत्र सुरेश उसे प्यार करता है इतना ही नहीं वह उसे प्यार के नाम पर तंग करता है और उसके मां–बाप तीनों उस पर शादी का दबाव बनाते हैं पर वह धोखेबाज निकला। अब उसे धोखा दे दिया है क्या धोखा दे दिया है कई बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया और वह रोने लगी। स्कूल में उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में उसकी बेटी देर रात पढ़ कर सुबह देर से उठती थी। दिनांक 23.06.2012 को उसकी बेटी रात को पढ़ने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुबह उनके जानकार नवीन गोयल दिनांक 24.06.2012 को उनके घर आ गए थे। वे दोनों पति–पत्नी उनके साथ बैठकर बाहर वाले कमरे में बातें कर रहे थे, बातें करते–करते जब कफी समय हो गया तो उसके पति की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई तो उन्होंने देखा कि करीब 11:00 बजने वाले हैं। जूही अभी तक नहीं उठी और कहने लगी कि वह जूही को जगाते हैं। वह जूही को जगाने उसके कमरे में चले गए, अंदर से अपने पति की जोर–जोर से आवाज आने पर और दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर वह और नवीन भी उनके पास चले गए। उन्होंने देखा अंदर से जूही की ना तो कोई आवाज आ रही थी और ना ही दरवाजा खुल रहा था। अनहोनी की आशंका से दरवाजा तोड़ने के लिए उसके पति ने जोर–जोर से धक्के मारने शुरू कर दिए जिससे दरवाजे में लगी कुंडी टूट गई और दरवाजा खुल गया। वे लोग दरवाजा खुलते ही यह देखकर अवाक कर गए की जूही बिजली के पंखे से चुन्नी बांधकर गले में फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसके पति ने उन दोनों की सहायता से बेटी के गले से चुन्नी खोली और उसको बैड पर लेटा दिया, उन्होंने देखा कि जूही मर चुकी थी। वह कहने लगे घटना के तीन–चार दिन पहले उसकी बेटी बहुत ज्यादा उदास थी तो उसने उससे पूछा जूही तू इतनी उदास क्यों है तो उसने उसके गले से लिपटकर रोते हुए कहा कि मम्मी हर्षित और उसके मम्मी पापा ने उसे अपने घर बुलाया था तथा हर्षित ने उसके मां–बाप के सामने उसके मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा, यह कहकर उसकी बेटी देर तक रोती रही। सुसाइड नोट को पढ़कर उन्होंने वहीं किताब में रख दिया था तथा रोते हुए अपनी

जानकारी के रिश्तेदारों को फोन करने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद उनके घर पुलिस आ गई। दरोगा जी ने सबसे पहले सुसाइड नोट को पढ़कर अपने कब्जे में लिया था तथा पंखे से खुलवाकर चुन्नी और टूटी हुई कुंडली भी अपने कब्जे मिली थी और एक सिपाही को एक कपड़ा लाने को कहा था। सुसाइड नोट की फोटो कॉपी करने को भेजो तथा कपड़ा आने पर उन्होंने एक कपड़े में चुन्नी में टूटी हुई कुंडी तथा दूसरे कपड़े में सुसाइड नोट को सील किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उनके कई बार समझाने पर भी यह लोग सुरेश चंद व बीना नहीं माने और उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं रोका। घटना वाली रात इन तीनों ने न जाने क्या कह कर उसकी बेटी को डराया धमकाया व उकसाया कि उसकी बेटी ने उन्हें बिना बताए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उनकी जिंदगी में यह कमबख्त दिन आ गया। उसने विवेचन को दिनांक 27.06.2012 को अपना बयान दिया था। साक्षी को कागज सं०– अ 12/1 की फोटो दिखाई तो साक्षी ने कहा कि जूही की राइटिंग है और इसी के हस्ताक्षर है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

5– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3, नवीन गोयल के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि उसके व वीरेंद्र मलिक के पारिवारिक संबंध है तथा शादी समारोह में एक–दूसरे के घर आना जाना है, पहले भी वीरेंद्र मालिक एवं उनकी पत्नी गीता मलिक हर्षित और जूही के संबंधों के बारे में उससे जिक्र करते रहते थे कि हर्षित नाम का लड़का उनकी लड़की जूही से मिलता जुलता है, फोन करता है तथा तंग–परेशान करता है। इस संबंध में वीरेंद्र मालिक एवं उनकी पत्नी गीता मलिक हर्षित के माता–पिता से कई बार मिले और उन्होंने उन्हें हर्षित की हरकतों से अवगत कराया कि हर्षित जूही को परेशान करता है उसको समझाओ परंतु हर्षित के माता–पिता अपने लड़के हर्षित को समझने की जगह उल्टा उत्साहित करते रहे। वह वीरेंद्र मलिक के यहां दिनांक 24.06.2012 की सुबह 09:00 बजे गया था। वह एक सिलसिले में वीरेंद्र मलिक व उनकी पत्नी गीता से मिलने गया था। वह वीरेंद्र मलिक व गीता मालिक तीनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। बातें करते हुए जब काफी देर हो गई तो वीरेंद्र मालिक बोले कि 11:00 बजने वाले हैं जूही की आवाज नहीं आ रही है क्या वह सो कर नहीं उठी है और वह यह कहते हुए कि वह जूही को जगा कर आते हैं और जूही के कमरे पर गए, उनके जोर–जोर से आवाज लगाने व दरवाजा पीटने की आवाज को सुनकर वह तथा गीता मालिक भी जूही के कमरे पर गए, बार–बार आवाज लगे एवं दरवाजा पीटने के बावजूद उधर से कोई हलचल न होने पर वीरेन्द्र मलिक ने दरवाजे को तोड़ने के इरादे से जोर–जोर से धक्के मारे जिससे दरवाजे की कुंडी टूट गई और दरवाजा खुल गया। जब वे तीनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जूही छत के पंखे से अपने गले में चुन्नी के फंदा से लटकी हुई है, उन तीनों ने मिलकर वह, गीता मलिक व वीरेंद्र मलिक ने मिलकर उसे नीचे उतरा और बैड पर लेटा दिया। उन्होंने देखा कि जूही मर चुकी थी। वीरेंद्र मलिक रोते हुए बाहर वाले कमरे में आए और अपने जानकार व परिवार वालों को फोन करने लगे। इस घटना की रिपोर्ट विरेन्द्र मालिक ने लिखवाई थी। सुसाइड नोट बेड पर खुली किताब के बीच में से मिला। रिपोर्ट लिखाने के बाद मौके पर पुलिस आ गई। चुन्नी चटकनी का टूटा हुआ टुकड़ा, एक कपड़े में तथा सुसाइड नोट को एक दूसरे कपड़े में सील मोहर किया। जूही का पंचायतनामा दरोगा जी ने उसके सामने भरा था और उस पर उसके हस्ताक्षर कराए थे।

जूही की मौत के जिम्मेदार हर्षित एवं उसके माता–पिता है जिन्होंने उसका इतना उत्पीड़न किया कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। उसने घटना की बाबत दरोगा जी को बयान दिनांक 30.06.2012 को दिए थे। साक्षी को कागज सं०–अ 8/1 पंचायत नामा मूल दिखाने पर साक्षी द्वारा पंचायतनामा को तस्दीक व प्रमाणित करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

6– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4, दुर्गपाल सिंह एड़वोकेट, जो कि पंचायतनामे के साक्षी हैं, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि उसका वीरेंद्र मलिक एडवोकेट के यहां आना जाना है। वीरेंद्र मलिक एडवोकेट ने उसे बताया था कि एक लड़का हर्षित व उसके माता–पिता उसकी लड़की को बहला फुसला रहे हैं और शादी करने के लिए कहते हैं और उसकी लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं। दिनांक 24.06.2012 को वीरेंद्र मलिक की लड़की जूही की आत्महत्या की सूचना पर वह वीरेंद्र मलिक के घर पहुंचे थे। वहीं पर जूही का पुलिस ने पंचायत नामा भरा था तथा उसके पंचायतनामे पर हस्ताक्षर कराए थे। दरोगा जी ने उसका बयान दिनांक 30.06.2012 को लिया था। साक्षी को कागज सं०–अ 8/1 पंचायत नामा मूल दिखाने पर साक्षी द्वारा पंचायतनामा को तस्दीक व प्रमाणित करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

7– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5, ड़ा० संजीव कुमार शर्मा, जो कि पंचायतनामे के साक्षी हैं, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 24.06.2012 को विरेन्द्र मलिक एड़वोकेट की लड़की जूही मलिक की मृत्यु की सूचना पर वह उनके घर गया था। पंचानामा उसके सामने भरा गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पंचानामा समय लगभग 01.30–01.45 बजे दरोगा जी ने भरा था। साक्षी को कागज सं०–अ 8/1 पंचायत नामा मूल दिखाने पर साक्षी द्वारा पंचायतनामा को तस्दीक व प्रमाणित करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने तथा शव को उसके सामने ही पुलिस ने सील मोहर करके अन्य कागजात तैयार करके उसके सामने ही पोस्टमार्टम के लिये भेजने का कथन किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

8– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6, ड़ा० देवी दास उप मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 24.06.2012 को सायं 04:30 बजे मृतका जूही मलिक पुत्री वीरेंद्र मलिक को पुलिस कांस्टेबल सहन्सरपाल एवं होमगार्ड जितेंद्र सिंह के द्वारा शव–विच्छेदन गृह मेडिकल कॉलेज मेरठ लाया गया था। कागजाती शिनाख्त के रूप में 09 पुलिस पेपर साथ ले गए थे। शव का उसके द्वारा आंतरिक एवं बाह्य परीक्षण किया गया। बाह्य परीक्षण में शव औसतन कद काठी का था एवं शारीरिक अकड़न शरीर के निचले भाग में मौजूद थी। आंखें बंद एवं मुंह खुला हुआ था एवं जिभा दोनों दांतों के बीच थी। शव के गर्दन भाग पर अंतर लिए हुए निशान जिसका आकार 27 X 1.50

सेंटीमीटर टोढ़ी से 7 सेंटीमीटर नीचे गर्दन के आर्टम भाग एवं दोनों तरफ मौजूद था जो सीधे कान से 5 सेंटीमीटर सीधी तरफ एवं बाएं कान से 4 सेंटीमीटर बाँयी तरफ था, आकर में तिरछाई लिए हुए मौजूद था। इस भाग का आन्तरिक परीक्षण करने पर अंदर की टिशूज़ में चमक हो रही थी। खोपड़ी भाग का अंतः परीक्षण करने पर मस्तिष्क भाग कन्जेस्टेड था। थर्ड गर्दन की हड्डी एवं डायर्ड़ बोन फ्रैक्चर थी। दोनों फेफड़ों कन्जेस्टेड एवं फूले हुए थे। हृदय के सीधे भाग में खून मौजूद था एवं बाँये तरफ का भाग खाली था। जबड़े में ऊपर 14 व नीचे 15 दांत मौजूद थे। अमाशय भाग में लगभग 200 ग्राम अधपचा पदार्थ मौजूद था। जिगर कन्जेस्टेड और गॉल ब्लैड़र आधा भरा हुआ था। प्लीहा और गुर्दे कन्जेस्टेड थे। बच्चेदानी खाली थी। शरीर पर मौजूद टी–शर्ट, पायजामा व अन्तः वस्त्र क्लेचर बालों में मौजूद था। संबंधित पुलिस कांस्टेबल को सुपुर्द कर दिया गया था। मृतका की मृत्यु आधे से एक दिन होना संभव है। इस साक्षी द्वारा पोस्टमार्टम उसके द्वारा करने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार कराये जाने तथा उसके लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

9– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–7, सेवानिवृत एस०आई० भूषण चंद मलिक जो कि प्रश्नगत प्रकरण के विवेचक हैं, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 23.06.2012 को वह थाना सदर बाजार पर बतौर उ०नि० तैनात था। उसी दिन की घटना से सम्बन्धित दिनांक 24.06.2012 एक मुकदमा मु०अ०सं० — 294 सन् 2012, धारा 306 भा०दं०सं०, सरकार बनाम हर्षित आदि, थाना सदर बाजार कायम हुआ जिसकी विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से घटनास्थल का नक्शा–नजरी प्रदर्श क–3, पंचायतनामा प्रदर्श क–4, चालान फार्म प्रदर्श क–5, रिपोर्ट आर०आई० प्रदर्श क–6, फोटो नाश प्रदर्श क–7, सी०एम०ओ० चिट्ठी प्रदर्श –क 8, नमूना मोहर प्रदर्श क–9, फर्द लेने कब्जे चुन्नी प्रदर्श क–10, कॉल डिटेल प्रदर्श क–11, लगायत प्रदर्श क–14 व आरोप पत्र प्रदर्श क–15 व क 16 को साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

10– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–8, सेवानिवृत है०कॉ० जनड़ेल सिंह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिंनाक 23.06.2012 को वह थाना सदर बाजार पर बतौर का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उसी दिन वीरेन्द्र मलिक एडवोकेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी निरीक्षक के नाम दिया था जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुऐ उसके द्वारा मु०अ०सं० 294/12, धारा 306 भा०दं०सं०, थाना सदर बाजार, सरकार बनाम हर्षित उसके द्वारा तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया था तथा उसका खुलासा जी०डी० नं० 27 समय 13.30 पी०एम० दिनांक 24.06.2012 कायम किया था। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से मूल चिक को प्रदर्श–क 15 व जी०डी की मूल कापी को प्रदर्श–क 14 को उसके लेख में व हस्ताक्षरित होने का कथन करते हुए साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति

परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

11- बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी ड़ी०ड़ब्लू०–1 सेवानिवृत ब्रिगेडियर सुभाष चन्द जौहर के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि वह उपरोक्त कोठी मे सन् 1960 से रह रहा है जिसका वह मालिक है। उसकी इस कोठी में उसके बराबर के एक पोरशन में वीरेन्द्र मलिक एडवोकेट उसके किरायेदार हैं। वीरेन्द्र मलिक के परिवार में उनकी पत्नी एक बेटा है तथा एक बेटी जूही मलिक भी थी। जूही मलिक पढ़ती थी। मुल्जिम हर्षित वीरेन्द्र मलिक के घर आता जाता रहता था। यह लडका गीता मलिक व जूही मलिक के साथ वैष्णो देवी भी गया था। उसे यह जानकारी है कि जूही व हर्षित आपस में प्यार करते थे। वीरेन्द्र मलिक के किरायेदारी में तीन कमरे एवं एक कोर्टयार्ड है। दिनांक 24.06.2012 को करीब सुबह करीब 08.30 बजे वह व उसकी पत्नी अपने बरामदे में बैठे हुये चाय पी रहे थे कि तभी गीता मलिक उनके बरामदे में आयी और कहा कि उसकी बेटी जूही मर गयी। इस पर वह और उसकी पत्नी वीरेन्द्र मलिक के मकान में गये, तो जाकर देखा कि छोटे वाले कमरे में जूही बेड पर मरी पडी थी। उसने पूछा कैसे मर गयी तो वीरेन्द्र ने बताया कि इसने आत्महत्या करली, जब वह कमरे में गया था तो जूही की लाश के पास कोई कागज किताब या कापी उसके बेड पर नहीं थी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, कमरें में जो छत का पखा लगा था उस पर कोई कपडा चुन्नी या रस्सी भी नही बंधी थी। तो उसने वीरेन्द्र मलिक को कहा कि पुलिस को सूचना दे दी क्या तो उन्होंने कहा कि आप दे दीजिये। उसने जूही मलिक को लेटे हुये देखा तो वह टी शर्ट और लोवर पहने हुये थी इस समय उसे टी–शर्ट और लोवर का रंग ध्यान नहीं है उसके दोनों हाथों की कलाईयो पर (BRUISES) के निशान थे। उस समय उनके घर में वीरेन्द्र मलिक, गीता मलिक के अलावा उनका छोटा बेटा ही था अन्य कोई व्यकित नहीं था। उसने एस०एच०ओ० सदर बाजार को इस घटना की सूचना टेलीफोन से दी थी। सदर थाने की पुलिस लगभग नौ सवा नौ बजे आ गयी थी तब तक बाहर का कोई व्यकित वहाँ नही आया था। पुलिस के आने के पश्चात वह और उसकी पत्नी वहाँ से चले गये थे जब वह गीता मलिक के साथ जूही के कमरे में गया था तो उसका दरवाजा खुला हुआ था, उसका दरवाजा या कुण्डा तोडने के बारे में मुझे किसी ने नही बताया, इस जूही वाले कमरे की उँचाई लगभग सात साडे सात फिट है।

(I) इस साक्षी से अभियोजन पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्धारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

12– बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी ड़ी०ड़ब्लू०–2 सुभाष चन्द गुप्ता के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि वह 1996 से हस्तलेख एवं अंगुल चिन्ह के विशेषज्ञ का पेशा करता है। उसकी शिक्षा बी०एस०सी०, एम०ए०, एम०एड०, एम०फिल०, एल०एल०बी० व सी०एफ०एस०सी० है उसने राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली व दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विधि विज्ञान का प्रशिक्षण लिया है इसके अतिरिक्त दिल्ली के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री बी०एन० श्रीवास्तव से भी प्रयोगात्मक प्रशिक्षण लिया है। प्रस्तुत वाद में उसने जूही मलिक के विवादित हस्तलेख जो की प्रदर्श 70 दिनांकित 22.12.2015 पर है जिसे उसने अंग्रेजी अक्षर ड़ी० से चिन्हित किया है, का मिलन जूही मलिक के स्वीकृत हस्तलेखों से किया है जो की कागज संख्या 38क/2, 38क/3, 38क/4 व उसकी बुक 38क/5, 38क/6, 38क/7 मैट्रियल पदार्थ 70 1,2,3 दिनांक 05.11.2015 पर है जिन्हें उसने ए से ए 10 द्वारा चिन्हित किया

है उसकी राय के अनुसार जूही मलिक का विवादित हस्तलेख जूही मलिक के स्वीकृत हस्तलेखों से नहीं मिलता है। उसकी राय दिनांकित 18.03.2019 स्वयं टाइप कराई है जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा उसकी मोहर है। संलग्न फोटोग्राफ भी उसने ही चिन्हित किए हैं। रिपोर्ट उसके हस्ताक्षर व मोहर लगी है प्रमाणित करता हूं रिपोर्ट पर वस्तु प्रदर्श–ख 1, फोटोग्राफ की सी०ड़ी० भी उसके द्वारा संलग्न की गई है जो पत्रावली पर संलग्न है।

(I) इस साक्षी से अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

13– बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी ड़ी०ड़ब्लू०–3 सुभाष कुमार अग्रवाल के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि वह वर्ष 2012 में पी० एण्ड़ आर० इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वह इस प्रकरण के मुलाजिम सुरेश को जानता है यह भी उसके विभाग में इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे। यह दिनांक 16.06.2012 को उसके पास पहुंचे थे और 17.06.2012 को विभाग में जॉइनिंग करी थी। उसके बाद 24.06.2012 को उसे अनुमति लेकर ब्रेन वार जम्मू कश्मीर से अनुमति लेकर चले आए। ब्रेन वार जगह श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में है वहां से सीधा कोई वाहन या ट्रेन उपलब्ध नहीं होता। विभाग की गाड़ी द्वारा उसने इन्हें श्रीनगर बस स्टैंड छुड़वा दिया था। इस संबंध में उसने सुरेश के अनुरोध पर एक प्रमाण पत्र निर्गत किया था। इस साक्षी द्वारा सुरेश के अनुरोध पर निर्गत प्रमाण पत्र कागज संख्या 82 ख/2 को उसके लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए वस्तु प्रदर्श ख 2 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

14- मैनें विद्वान सहा० जिला शासकीय अधिवक्ता "फौज०", वादी मुकदमा स्वंय विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

15– तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा बताया गया है कि जब वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक की बेटी पंखे पर चुन्नी से फंदा लगाकर लटकी तो वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक ने अपनी बेटी के गले से फंदा खोला तहरीर में फंदा खोलने के समय वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक ने किसी अन्य व्यक्ति का उसके आसपास होने का कोई उल्लेख नही किया है। यहां तक कि अपनी पत्नि पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के होने का भी उल्लेख नही किया गया है यदि तहरीर प्रदर्श क–1 की अन्तिम पंक्ति को न पढ़ा जाये तो स्पष्ट होता है कि जब पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा अपनी पुत्री को फंदे से खोलकर नीचे उतारा गया उस समय उसके अलावा पूरी तहरीर के अनुसार किसी व्यक्ति की उपस्थिति का कोई उल्लेख तहरीर प्रदर्श क–1 में नही है लेकिन तहरीर प्रदर्श क–1 में अन्तिम लाईन में उल्लेख इस प्रकार है कि " मौके पर नवीन गोयल भी प्रार्थी के घर पर था "। इस पंक्ति के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि तहरीर प्रदर्श क–1 तैयार

करने के पश्चात इस लाईन को वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा इसलिये बढ़ाया गया कि घटना को रंगत देने के लिये एक फर्जी गवाह नवीन गोयल को तैयार किया जाये अन्यथा मृतका की लाश को फंदे से उतारने के समय नवीन गोयल की मदद लेने का उल्लेख भी तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वंय वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा प्रति परीक्षा के पृष्ठ–19 पर इस आशय का साक्ष्य दिया गया है कि तहरीर में नवीन गोयल का नाम बाद में लिखा गया है। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक का यह साक्ष्य पृष्ठ–19 पर इस प्रकार है कि " यह सही कि पत्रावली में शामिल चिक एफ0आई0आर0 में भी मेरी बेटी का नाम जूही मलिक नही लिखा है। यह सही है कि तहरीर में सम्पूर्ण प्रार्थना के पश्चात शब्द इस मौके पर नवीन गोयल भी था बाद में लिखा है "। इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि नवीन गोयल वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के साथ मौके पर मौजूद ही नही था जबकि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा अपनी पुत्री को फंदे से खोलकर उतारा गया था।

16– इसके अलावा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा मुख्य परीक्षा के पृष्ठ–2 पर दिये गये साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है जो इस प्रकार है कि " उसकी बेटी अपने कमरे में लगे छत के बिजली के पंखे से चुन्नी से अपने गले में फांसी लगाकर लटकी हुई है। उसने अपनी पत्नी व नवीन गोयल की मदद से अपनी पुत्री के गले से उसके जिंदा होने की आश में उसे डॉक्टर के पास ले जाने के उद्देश्य से हाथ से फंदा खोला और फंदा खोलकर नीचे उतार कर बेड पर लिटाया तो उसने देखा कि उसकी बेटी दम तोड़ चुकी थी "। इस प्रकार उपरोक्त मुख्य परीक्षा में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा फंदे से अपनी मृतका पुत्री को उतारने के लिये अपनी पत्नि श्रीमती गीता मलिक एवं नवीन गोयल की मदद लेने का साक्ष्य पहली बार दिया गया है। यह बात सही है प्रति परीक्षा के अलग–अलग समय पर पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा स्वंय ही अपनी बेटी कों फंदे से उतारने का साक्ष्य भी दिया गया है। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा प्रति परीक्षा के पेज–9 पर इस सम्बन्ध में जो साक्ष्य दिया गया है वह इस प्रकार है कि " मैने पहले अपनी बेटी को चुन्नी खोलकर उतारा और बिस्तर पर लिटाया "। इसके अलावा वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा प्रति परीक्षा के पेज–11 पर प्रथम पंक्ति में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " लाश को मेरे द्वारा उतारकर बैड पर रखने के बाद से लेकर अपनी तहरीर लिखनी शुरू करने तक लगभग डेढ–पौने दों घण्टे लगा होगा "। इस प्रकार प्रति परीक्षा में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा अकेले अपनी बेटी को फंदे से उतारने का साक्ष्य दिया गया है वह भी किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना, इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक का साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नही है।

17– इसके अलावा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा पेज–11 पर दिये गये साक्ष्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है जो इस प्रकार है कि " मेरे रिपोर्ट लिखाने से पहले मौके

पर ब्रिगेडियर साहब व अन्य पंचान आ गये थे। बलवीर सिंह,बिग्रेडियर साहब एस. के.चोला ने डैड बॉडी को उतरवाने मेरी कोई मदद नही की। मृतक जूही मलिक की लाश उतारने में मेरी पत्नि गीता मलिक व नवीन गोयल की क्या भूमिका थी,मैं नही बता सकता। मैनें अपनी बेटी के गले का फंदा उक्त दोनों व्यक्तियों के सहयोग से खोला था अज खुद कहा कि मेरी पत्नि और नवीन गोयल ने मेरी बेटी की लाश को नीचे से पकड़कर उपर उठाया/उभारा था और मैनें उसके गले का फंदा खोला था "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा कहा गया है के बेटी की लाश को उतरवाने में बिग्रेडियर साहब के द्वारा मेरी कोई मदद नही की गयी थी। बिग्रेडियर साहब वह व्यक्ति हैं जिनके घर में किराये पर वादी पी0डब्लू–1 अपने परिवार सहित निवास करता है और बिग्रेडियर साहब का निवास नवीन गोयल के घर के मुकाबले बहुत नजदीक है। वास्तव में बिग्रेडियर साहब की प्रोपर्टी के हिस्से में वादी पी0डब्लू–1 किरायेदार है फिर क्यों वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा ऐसा साक्ष्य दिया गया है कि बेटी की लाश को उतरवाने में बिग्रेडियर साहब ने कोई मदद नही की जबकि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार बिग्रेडियर साहब मौके पर आ गये थे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा आगे यह भी साक्ष्य दिया गया है कि बेटी लाश उतरवाने में नवीन गोयल एवं वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक की पत्नी की क्या भूमिका थी पी0डब्लू–1 नही बता सकता। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के उपरोक्त साक्ष्य से वादी पी0डब्लू–1 का साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है क्योंकि वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया जा चुका है कि पी0डब्लू–1 ने अपनी पत्नि व नवीन गोयल की मदद से अपनी पुत्री की लाश को फंदे से उतारा था इसलिये बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास नही किया जा सकता है। इसके अलावा उपरोक्त साक्ष्य में आगे फिर वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि अपनी पत्नि व नवीन गोयल के सहयोग से बेटी की लाश को उतारा था। इस प्रकार वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के साक्ष्य में विरोधाभास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है जैसा कि वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा कभी यह साक्ष्य दिया जा रहा है कि बेटी की लाश को उताने में नवीन गोयल या गीता मलिक की क्या भूमिका थी वह नही बता सकता और कभी यह कहा जा रहा है कि दोनों के द्वारा लाश को उतरवाने में सहयोग किया गया इसलिये वादी पी0डब्लू–1 का साक्ष्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा इस बिन्दु पर पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक एवं पी0डब्लू–3 नवीन गोयल के द्वारा दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा इस बिन्दु पर उपरोक्त ढंग से साक्ष्य दिये जाने के पश्चात सोच–समझकर बिना किसी हिचक के वादी पी0डब्लू–1 के समान साक्ष्य दिया गया है कि पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक, पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक व पी0डब्लू–3 नवीन गोयल तीनों के ही सहयोग से लाश को फंदे से उतारा गया। इस स्तर पर बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा किया गया उपरोक्त कथन अधिक उचित प्रतीत हो रहा है।

18– बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त

हर्षित के मृतका जूही मलिक से प्रेम सम्बन्ध थे और दोनों आपस में शादी करना चाहते थे स्वंय अभियोजन साक्षीगण द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि मृतका जूही मलिक एवं अभियुक्त हर्षित के आपस में प्रेम सम्बन्ध थे। इसके अलावा अभियुक्त हर्षित मृतका जूही मलिक,पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक एवं पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के छोटे पुत्र के साथ वैष्णों देवी एवं अन्य स्थान पर घूमने के लिये भी गया था। बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन भी किया गया है कि अभियुक्त हर्षित के खर्चे पर ही पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक, मृतका जूही मलिक एवं मृतका जूही मलिक का भाई वैष्णों देवी गये थे और इस सम्बन्ध में पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा पेज–5 पर दिये गये साक्ष्य (प्रति परीक्षा) की ओर ध्याान आकर्षित कराया गया है जो इस प्रकार है " **प्रश्न**– आप यह सब बाते इसलिये नही बता रही है और पता नही है कि यह सब टिकट वगेरहा का कार्य अभियुक्त हर्षित ने किया था? **उत्तर**– हर्षित मेरे परिवार का इतना नजदीकी नही था कि वह मेरे घर का काम करता। आपका कहना गलत है। यह कहना गलत है कि हर्षित भी उसी बोगी में और उसी ट्रेन में हमारे साथ जम्मू गया हो फिर कहा हमारी बोगी में हर्षित नही था हो सकता है ट्रेन में हो। यह कहना गलत है कि कोच एस–1 सीट नम्बर 1,2 व 3 पर (बर्थ) हम एक साथ जम्मूतवी ट्रेन नम्बर–14645 शालीमार एक्सप्रेस से गये हों। मैने कोई टिकट कैंसिल नही कराया और न ही बुक कराया। यह कहना गलत है कि मैं ट्रेन का नाम,कोच,बर्थ नम्बर आदि के विषय में और रिबुक करानें के सम्बन्ध में इसलिये नही बता पा रही हूं कि यह कार्य हमारी जानकारी में हर्षित ने ही किया हो "। इस प्रकार पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में पहले तो कहा गया है कि वैष्णों देवी की यात्रा के समय उसी ट्रेन की बोगी में हर्षित नही था जिसमें पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक एवं मृतका थीं फिर यह कहा गया है कि हो सकता है कि उसी ट्रेन में हो परंतु बोगी में नही था लेकिन पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा ही पेज–7 पर प्रथम पंक्ति में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जब हम लोग वैष्णों देवी गये थे तब हमें हर्षित वहां मिला था वह हमारे पीछे–पीछे आ रहा था। हम वहां कितने दिन रूके मुझे याद नही तीन या चार दिन यह नही बता सकती। वहां पर किसी होटल या टैक्सी की रसीद हमारे पास नही है। यह कहना गलत है कि वैष्णों देवी में खर्चा हर्षित ने उठाया हो। हर्षित हमारे वैष्णों देवी जाते समय हमारे ही कोच में हो सकता है। उसी ट्रेन में हो सकता है स्वंय कहा कि मैने उसे देखा नही। जिस धर्मशाला में हम ठहरे थे उसी धर्मशाला में हो सकता है कि वह भी ठहरा हो "। लेकिन उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा साक्ष्य दिया जा रहा है कि हो सकता है कि हर्षित भी उसी ट्रेन से उसी कोच में रहा हो और उसी धर्मशाला में ठहरा हो जिसमें पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक थीं। इस प्रकार पी0डब्लू–2 के द्वारा दिया गया उपरोक्त ढंग के साक्ष्य के बारे में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक का साक्ष्य भी विश्वास करने योग्य नही है क्योंकि स्वंय पी0डब्लू–2 के ही साक्ष्य में विरोधाभास स्पष्ट हो रहे हैं।

19– इसके अलावा पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा पृष्ठ–16 पर प्रथम पंक्ति में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " वैष्णो देवी जब हम गये थे तो हमने

वहां के दो–चार फोटो फोन में खीचे थे। मैने अपने फोन से खीचें थे। मेरा फोन नम्बर उस समय 9997222370 था। हर्षित ने अपने मोबाईल से वहां कोई फोटों नही खीचें थे "। इस प्रकार पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्धारा वैष्णों देवी की यात्रा के दौरान दो–चार फोटों अपने मोबाईल से खीचने का साक्ष्य भी दिया गया है लेकिन यह भी कहा गया है कि हर्षित के द्धारा कोई फोटों नही खीचें गये थे लेकिन पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक की ओर से वैष्णों देवी यात्रा के दौरान खीचे गये फोटों पत्रावली पर दाखिल नही किये गये हैं जबकि बचाव पक्ष की ओर से सूची से दाखिल 57ख / 1 ता 57ख / 5 फोटोग्राफ्स दाखिल किये गये हैं जिनको देखने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फोटो हर्षित के द्धारा ही खीचें गये थे क्योंकि यदि हर्षित के द्धारा उक्त फोटों नही खीचे गये होते तो यह फोटों हर्षित के पास नही होने चाहिये थे जबकि उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 के द्धारा कहा गया है कि हर्षित के द्धारा उनका कोई फोटों नही खीचा गया था। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्धारा जानबूझ कर झूठा साक्ष्य दिया जा रहा है जिस पर विश्वास नही किया जा सकता है और बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता की यह बात उचित भी प्रतीत हो रही है कि पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्धारा दी गयी उपरोक्त साक्ष्य विश्वास योग्य नही है।

20– इसके अलावा तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक द्धारा उल्लिखित किया गया है कि " अनहोनी की आशंका से उसने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि उसकी बेटी पंखे पर अपने कमरे में चुन्नी से फंदा लगाकर लटकी हुई है। वह यह देखकर आवाक रह गया। उसने देखा कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसने अपनी बेटी के गले में लगा फंदा खोला तथा इधर उधर देखने पर उसको अपनी बेटी के हाथ से लिखा सुसाईड़ नोट मिला जिसमें लिखा था कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ हर्षित पुत्र सुरेश, निवासी प्रभात नगर, थाना सिविल लाईन, जे०पी० हॉस्पिटल के सामने मेरठ का रहने वाला है "। इस प्रकार तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्धारा कहा गया है कि बेटी को फंदे से उतारते समय इधर उधर देखने पर उसे अपनी बेटी के हाथ से लिखा हुआ सोसाईट नोट मिला जिसमें वादी पी0डब्लू–1 की बेटी ने अभियुक्त हर्षित को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। वादी पी0डब्लू–1 द्धारा अपनी तहरीर में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि अपनी बेटी के हाथ से लिखा सोसाईट नोट उसे मिला। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि जिस कमरे में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक को मृतका का शव फंदे में लटका मिला उस कमरे में मृतका के अतिरिक्त और कोई नही हो सकता था फिर वादी पी0डब्लू–1 के द्धारा तहरीर में इस बात का उल्लेख क्यों किया गया कि अपनी बेटी के हस्तलेख में सोसाईट नोट मिला। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्धान अधिवकता के द्धारा यह कथन किया गया है कि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक को अपनी बेटी के हाथ का लिखा सोसाईट नोट मिला तात्पर्य यह है कि बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जब मृतका के कमरे में किसी और व्यक्ति की उपस्थिति सम्भव ही नही हो सकती थी तो फिर किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से

लिखा हुआ यह सोसाईट नोट भी नही हो सकता था फिर वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक को तहरीर में इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उसे मृतका के कमरे में मृतका के हाथ का लिखा हुआ सोसाईट नोट मिला। इसके अलावा वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्धारा मुख्य परीक्षा में पेज–2 पर जो साक्ष्य दिया गया है वह इस प्रकार है कि " अपनी बेटी के गले से उसके जिन्दा होने उसे डाक्टर के पास ले जाने के उद्देश्य से हाथ से फंदा खोला और फंदा खोलकर नीचे उतारकर बैड पर लिटाया तो मेरी बेटी दम तोड़ चुकी थी। मेरे घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया। इधर–उधर देखने पर किताबों में कॉपी में ढूंढने पर मुझे मेरी बेटी के बैड पर से किताब में रखा उसका हाथ का रखा सुसाइड नोट मिला जिसको पढ़ने से मुझको पता चला कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार हर्षित पुत्र सुरेश कुमार, निवासी प्रभात नगर है "। जब वादी पी0डब्लू–1की बेटी की लाश पंखे से उतार ली गयी तब उसके बाद के समय के सम्बन्ध में वादी द्धारा बयान दिया जा रहा है कि उसके घर का माहौल सामान्य था,लेकिन ऐसा नही माना जाना चाहिए कि जब किसी की बेटी आत्महत्या कर ले तो उस व्यक्ति के द्धारा यह बताया जाये कि उस समय उसके घर का माहौल सामान्य था। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्धारा जो कहा गया है वह प्रति परीक्षा नही है बल्कि ऐसा साक्ष्य मुख्य परीक्षा में ही दिया जा रहा है। यद्यपि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्धारा अपनी बात को सही करते हुए आगे यह कह दिया गया है कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक और अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के समय पी0डब्लू–1 वादी के घर का माहौल किसी भी तरह से सामान्य नही हो सकता था। इसके अलावा वादी पी0डब्लू–1 के द्धारा जो साक्ष्य दिया गया है कि उसे बिल्कुल समझ नही आया कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया,यह साक्ष्य भी झूठा है। इसका कारण यह है कि पी0डब्लू–1 वादी को घटना से तीन–चार दिन पहले इस बात की जानकारी हो गयी थी कि उसकी बेटी अभियुक्त हर्षित से शादी करने वाली है। ऐसा साक्ष्य स्वंय वादी पी0डब्लू–1 के द्धारा मुख्य परीक्षा के पेज–6 पर दिया गया है। जो इस प्रकार है कि " रिशु वर्मा मेरी बेटी को बहन मानता था। मुझे फोन नम्बर 07599334103 से बताया था कि उसकी जूही से अक्सर बात होती रहती थी तथा जूही घटना से तीन–चार दिन पहले भी हर्षित व उसके मॉ–बाप के बुलाने पर उनसे मिलने हमसे चोरी छिपे उनके घर गयी थी। जूही ने रिशु को यह भी बताया था कि वह हर्षित से शादी करने वाली है जिसके लिये सब राजी हैं किन्तु जब जूही हर्षित के घर गयी थी तो हर्षित के पिता सुरेश ने अपने बेटे हर्षित की शादी किसी अन्य लड़के से करने की बात मेरी बेटी से कही थी जिससे जूही नाराज हुयी थी तथा उसने हर्षित व उसके माता पिता से अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो हर्षित ने अपने मॉ–बाप के सामने मेरी बेटी जूही को थप्पड़ मारा था। घटना से तीन–चार दिन पहले मेरी बेटी के हर्षित के घर जाने व हर्षित द्धारा उसे थप्पड़ मारने की बात मेरी पत्नि ने मुझे बतायी थी "। इस प्रकार स्पष्ट है जब किसी पिता को इस बात का पता चले कि उसकी बेटी बिना उसकी सहमति के किसी लड़के से विवाह करने वाली है तब वादी पी0डब्लू–1 के घर का माहौल कैसे सामान्य हो सकता है। इसके अलावा कैसे पी0डब्लू–1 के द्धारा यह कहा जा

सकता है कि उसे बिल्कुल समझ नही आया कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया क्योंकि यह बाते पी0डब्लू–1 के समझ से परे नही होनी चाहिये। इसके अलावा उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि इधर–उधर देखने पर मेरी बेटी के बैड पर किताब में रखा उसके हाथ का रखा सोसाईड नोट मिला। पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक का यह साक्ष्य भी ध्यान देने योग्य है क्योंकि यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को किसी स्थान से मिले तो उसके द्वारा यह दावा नही किया जाना चाहिये कि इस वस्तु को वहां किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रखा गया होगा फिलहाल उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा यह कहा गया है कि उसकी बेटी के बैड पर रखी किताब में से उसे सोसाईड नोट मिला। इस बिन्दु पर वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक किे द्वारा पेज–9 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैने पहले अपनी बेटी को चुन्नी खोलकर उतारा और बिस्तर पर लिटाया। उसके बाद मैनें इधर उधर सोसाईड नोट ढूंढा फिर कहा कि मैनें,मेरी पत्नि व नवीन गोयल ने ढूंढा तो मुझें बैड पर रखी हुयी किताबों में से ढूंढने पर एक किताब में से यह सुसाईड नोट मिला "। पी0डब्लू–1 के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि जब किसी व्यक्ति की बेटी के द्वारा आत्महत्या कर ली जाये और ऐसी मृत बेटी को फंदे से उतारने के तुरंत बाद ऐसे मृत व्यक्ति के पिता के मस्तिष्क में सुसाईड नोट को ढूंढने का विचार असामान्य सी बात है क्योंकि इस प्रकार का कार्य सामान्यतः विवेचक या पुलिस टीम का ही होता है। इसके अलावा तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा इधर उधर सुंसाईड नोट ढूंढा गया। तहरीर के अनुसार यह अनुमान निकलता है कि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा ही ऐसा सुसाईड नोट ढूंढा गया होगा लेकिन वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक उपरोक्त के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य में न केवल वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक एवं पी0डब्लू–3 नवीन गोयल के द्वारा भी सुसाईड नोट ढूंढने का कार्य किया गया। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा सुसाईड नोट मिलने के उपरांत आगे साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि " मैनें तुरंत पढ़ा। मैं सुसाईड नोट को लेकर थाने नही गया। मैने सुसाईड नोट बैंड पर ही छोड़ दिया और मैं थाने रिपोर्ट लिखाने चला गया "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा कहा गया है कि सुसाईड नोट मिलने पर उसने सुसाईड नोट को पढ़ा और बैड पर छोड़कर रिपोर्ट लिखाने चला गया। इसके पश्चात वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा पृष्ठ–11 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " रिपोर्ट लिखाने के बाद मैं व पुलिस कमरे में अंदर गये तो पुलिस ने मेरी बिटिया जूही मलिक मृतका को देखा तथा उसके पास बेड पर रखे सुसाईड नोट को पढ़ा। सुसाईड नोट को पुलिस ने खुद बैड से उठाकर पढ़ा फिर उस सुसाईड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस वालों ने सुसाईड नोट को बैड से उठाकर पढ़ा किन्तु इस बिन्दु पर पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा पेज–7 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जिस समय जूही को बैड पर लिटाया तो बैड पर कोई कागज या कथित सुसाईड नोट नही दिखायी दिया। हम सब लोग रोने धोने लगे। हमारे इस रोने धोने के कुछ समय बाद ही जौहर

साहब अपनी पत्नी के साथ आ गये थे। काफी लोग इस समय आ गये थे संख्या मैं नही बता सकती कि 20 थे या 50 थे। सब लोगों ने लड़की की मृत्यु के बारे में पूछा हमने बताया कि सुसाईड कर लिया। अब हमारे दिमाग में आया कि हमारी बेटी लिखत पढ़त में कुछ छोड़ तो नही गयी जिससे उसकी आत्महत्या के कारण का पता चल सके। सबसे पहली बार सुसाईड नोट उस समय ढूंढनें की बाबत मैनें व मेरे पति ने कहा था। हम इधर उधर ढूंढनें लगे। हमने इधर उधर 5–10 मिनट ढूंढा मगर इधर उधर नही मिला "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्धारा बताया गया है कि जब जूही को बैड पर लिटाया तो बैड पर कोई सुसाईड नोट नही मिला और पी0डब्लू–1 एवं अन्य लोग रोने–धोने लगे कुछ समय बाद ही जौहर साहब अपनी पत्नि के साथ वहां पहुच गये। इस स्तर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्धारा तहरीर में स्वंय के द्धारा इधर उधर सुसाईड नोट ढूंढने के तथ्य का उल्लेख किया गया है और वादी पी0डब्लू–1 को इस कार्य में किसी भी व्यक्ति के द्धारा मदद नही मिल सकती थी क्योंकि तहरीर में इस बात का कोई उल्लेख नही है कि किसी व्यक्ति के द्धारा सुसाईड नोट को ढूंढने में पी0डब्लू–1 को मदद की गयी लेकिन वादी पी0डब्लू–1 के द्धारा अपनी साक्ष्य में यह कहा जा चुका है कि पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक व पी0डब्लू–3 नवीन गोयल के द्धारा भी सुसाईड नोट ढूंढा गया लेकिन सुसाईड नोट ढूंढने से पहले पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक व पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के पास जौहर साहब एवं उनकी पत्नि भी पहुंच गये थे ऐसा साक्ष्य पहली बार पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्धारा दिया गया है। सुसाईड नोट ढूंढने से पहले पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के घर केवल जौहर साहब,जो कि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक एवं पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के मकान मालिक भी हैं,ही नही पहुंचे थे बल्कि काफी लोग पहुंच गये थे किन्तु पी0डब्लू–2 को यह नही पता कि ये लोग 20 थे या 50 थे। उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्धारा यह भी बताया गया है कि इन सब लोगों ने मृतका की मृत्यु के बारे में पूछा तो पी0डब्लू–2 के द्धारा बताया गया कि उसने सुसाईड कर लिया। इसके बाद पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के दिमाग में आया कि कहीं उसकी बेटी लिखत–पढ़त में कुछ छोड़ तो नही गयी जिससे उसकी आत्महत्या के कारण का पता चल सके। सबसे पहली बार सुसाईड नोट को उस समय ढूंढने के बाबत पी0डब्लू–2 एवं उसके पति वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक ने कहा था अर्थात जब सबसे पहली बार सुसाईड नोट ढूंढने की बात पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक एवं पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक ने की तो उस समय जौहर साहब एवं अन्य काफी लोग पहुंच गये थे और हम सुसाईड नोट ढूंढने लगे। इस प्रकार पी0डब्लू–2 के उपरोक्त साक्ष्य से वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्धारा तहरीर में किया गया यह कथन झूठा साबित हो जाता है कि उसके द्धारा अपनी पुत्री को फंदे से उतार कर उसके द्धारा सुसाईड नोट ढूंढा गया क्योकि सुसाईड नोट केवल पी0डब्लू–1 के द्धारा ही नही ढूंढा गया था बल्कि पी0डब्लू–2 व पी0डब्लू–3 के द्धारा भी ढूंढा गया था और उस समय जौहर साहब व उनकी पत्नि व अन्य बहुत से लोग मौजूद थे।

21– इसके अलावा पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्धारा पृष्ठ–8 में तृतीय पंक्ति में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " सारी किताबें हमने नही ढूंढी थी।

बैड पर रखी 4–5 किताबों में से किसी एक में जूही के हाथ का लिखा एक सुसाईड नोट मिला स्वंय कहा जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार हर्षित को बताया था। इस सुसाईड नोट को मैनें,मेरे पति व नवीन गोयल ने पढ़ा फिर हमने इस सुसाईड नोट को कुछ नही किया बल्कि उस किताब में वापस रख दिया। उस समय फिर हमने और कोई लैटर ढूंढनें की कोशिश नही की। सुसाईड नोट किताब में रखने के लगभग 02–2:30 घण्टे बाद पुलिस आ गयी "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा बताया गया कि सुसाईड नोट उन्हें किताब से मिला और पढ़ने के बाद उक्त सुसाईड नोट को किताब में रख दिया गया और उसके लगभग 02–2:30 घण्टे बाद पुलिस आ गयी।। इसके अलावा पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा पेज–8 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " दरोगाजी ने स्वंय उस पंखे में बंधी चुन्नी को पकड़ कर लटक कर देखा। उसके बाद किसी अन्य पुलिस वाले से चुन्नी को खुलवाया। चुन्नी आसानी से खुली या नही मुझे नही पता। हमने टूटा हुआ कुण्डा भी उन्हें दे दिया फिर मैने कहा कि एक सुसाईड नोट है जिसको हमने पढ़कर किताब में रख दिया है। उसे आप वहां से ले लें। उन्हानें पूछा कि कौन सी किताब में है। मेरे पति ने उन्हें उक्त किताब इंगित करके बता दी कि उसमें है। दरोगाजी ने खुद निकाल लिया "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि दरोगाजी को हमने बताया कि एक सुसाईड नोट है जिसे पढ़कर हमने किताब में रख दिया है और उस किताब में से दरोगाजी ने सुसाईड नोट निकाल लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब पुलिस आयी तब पुलिस को सुसाईड नोट किताब में से मिला जिसे पी0डब्लू–2 गीता मलिक के पति पी0डब्लू–1 वादी विरेन्द्र मलिक द्वारा इंगित किया गया था कि सुसाईड नोट इस किताब में रखा है। लेकिन पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य से वादी पी0डब्लू–1 बिरेन्द्र मलिक के द्वारा पेज–3 पर दिया गया यह साक्ष्य असत्य साबित हो जाता है कि वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा सुसाईड नोट को पढ़कर और बैड पर ही छोड़कर वह थाने रिपोर्ट लिखाने चला गया था। साथ ही साथ पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा पेज–11 पर दिया गया यह साक्ष्य भी असत्य साबित हो जाता है कि पुलिस ने वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक की बेटी के शव को देखा तथा उसके पश्चात बेड पर पड़े उक्त सुसाईड नोट को पढ़ा। इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुं पर वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक व पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास एवं विसंगतियां विद्यमान हैं जिस कारण इन साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय कोटि का नही रह जाता है।

22– इसके अलावा पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा पेज–9 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैं अपनी तहरीर घर से लिखकर ले गया था और थाने पर जाकर दी तुरन्त चिक काट दी गयी। चिक की नकल मुझे मिल गयी तुरंत दरोगाजी अपने वाहन से व मैं अपने स्कूटर से घर के लिये चल दिये। पहले मैं घ ार पर पहुंच गया था। मेरे घर पहुंचने के बाद दरोगाजी थोड़ी देर बाद घर पर आ गये थे। मैं अंदाजे से नही बता सकता कितनी देर बाद आये थे। घण्टा–आधा घ ाण्टा व दों घण्टा बाद नही आये थे "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा बताया गया है कि थाने पर तुरंत चिक काट दी गयी थी और तुरंत ही दरोगाजी अपने वाहन से और स्वंय वादी मुकदमा

पी0डब्लू–1 अपने स्कूटर से घर की ओर चल दिये थे । वादी पी0डब्लू–1 ने पहले घर पहुंचने का साक्ष्य दिया है किन्तु उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 द्वारा अन्त में बताया गया है कि दरोगाजी के घर आने में आधा–एक घण्टा एवं दो घण्टा नही लगा था। इसका तात्पर्य यह है कि दरोगाजी भी आधा पौना घण्टे के अंदर वादी के घर पहुंच गये होगें। दरोगाजी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज होने के पश्चात वादी पी0डब्लू–1 के घर पहुंचने वाले उपरोक्त समय की पुष्टि वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा पेज–11 में दिये गये साक्ष्य में भी की गयी है और यह साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैं दूरी नही बता सकता कि थाना मेरे घर से कितनी दूरी पर है फिर पूछने पर बताया कि करीब चार–पांच कि0मी0 होगा। यह भी हो सकता है कि दो–ढाई कि0मी0दूरी पर हो। मुझे थाने पहुंचने से लेकर व रिपोर्ट लिखकर वापस घर के लिये चलने तक करीब आधा–पौना घण्टा लगा होगा "। इस प्रकार वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा पेज–9 एवं पेज–11 पर दिये गये उपरोक्त साक्ष्य से प्रतीत होता है कि वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक की एफ0आई0आर0 थाने पर तुंरत दर्ज कर ली गयी थी और वादी पी0डब्लू–1 एवं दरोगाजी तुंरत वादी पी0डब्लू–1 के घर के लिये निकल गये थे जिससे यह अनुमान निकलता है कि पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–7 घर पर आधा–पोना धण्टा में पहुंच गये थे और विवेचक के द्वारा विवेचना की कार्यवाही आरम्भ भी कर दी गयी थी। उपरोक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि लगभग दो–ढाई बजे विवेचना आरम्भ कर दी गयी होगी लेकिन विवेचक पी0डब्लू–7 उ0नि0 भूषण चंद मलिक के द्वारा पेज–8 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जब यह मुकदमा पंजीकृत हुआ उस वक्त मैं थाने पर मौजूद नही था स्वंय कहा कि क्षेत्र में विवेचना में गया हुआ था। यह सही है कि जब मैने मु0अ0सं0 294 सन 2012 की विवेचना आरम्भ की सबसे पहली बार नकल चिक अपने कार्यालय थाने से प्राप्त हुयी और मैने इस केस की विवेचना में सबसे पहला काम नकल चिक नकल रपट की नकल की। मैनें इस केस की विवेचना आरम्भ शाम में ही की। मेरा मतलब शाम 4–5 बजे से है। वह किसी अन्य मुकदमा की विवेचना में क्षेत्र में राउण्ड पर था "। इस प्रकार विवेचक पी0डब्लू–7 उ0नि0 भूषण चंद मलिक के उपरोक्त साक्ष्य सें स्पष्ट है कि जब विवेचनाधिकारी दूसरे मसले पर चार–पांच बजे तक थाने से बाहर था तो चार–पांच बजे से पहले उसके द्वारा विवेचना आरम्भ ही नही की जा सकती थी। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के पश्चात पी0डब्लू–1 के घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद पी0डब्लू–7 विवेचक पी0डब्लू–1 के घर पहुंच गये थे,असत्य साबित हो जाता है। इसके अलावा पी0डब्लू–1 का यह साक्ष्य भी असत्य साबित हो जाता है कि तुरन्त दरोगाजी अपने वाहन से व मैं अपने स्कूटर से घर के लिये चल दिये।

23– इसके अतिरिक्त मृतका का शव दिनांक 24–06–2012 को पंखे से लटका हुआ पाया गया। इससे एक दिन पहले अर्थात दिनांक 23–06–2012 की रात के बारे में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक एवं पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के साक्ष्य का विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक है। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा पेज–13 पर इस सम्बन्ध में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " दिनांक 23–06–2012 को मेरे घर में मैं,मेरी पत्नी श्रीमती गीता मलिक,बेटी जूही मलिक व बेटा विराट घर में मौजूद थे। मेरे बच्चों ने मेरे आने से पहले (बेटा,बेटी,पत्नी) खाना

खा लिया था। मैनें उस रोज लगभग आठ–साढ़े आठ बजे खाना खा लिया था "। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के साक्ष्य के समान ही पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा भी साक्ष्य दिया गया है जो पेज–11 पर इस प्रकार है " घटना वाली रात (23–06–2012) को रात के करीब 10:00 बजे जब मेरी लड़की जब मेरी लड़की अपने कमरे में पढ़ने चली गयी तो सुबह तक उससे मेरी कोई बात नही हुयी। कभी–कभी मेरी लड़की खाना बनाने,चाय आदि पीने का और पिलाने का काम कर लेती थी। मुझे नही पता कि लड़की ने उस रात में स्वंय उठकर चाय आदि बनाकर पी हो और कुछ खाना खाया हो। उस रात मैनें व मेरे दोनों बच्चों ने खाना आठ बजे से पहले खा लिया था "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि दिनांक 23–06–2012 की रात समय 8:00– 8:30 बजे मृतका के द्वारा खाना खा लिया गया था और अगले दिन दिनांक 24–06–2012 को 11:00 ए.एम. पर उसका शव पंखे से लटका हुआ पी0डब्लू–1 व उसके परिवारवालों के द्वारा पाया गया। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्वारा मुख्य परीक्षा के पेज–2 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " अमाशय भाग में लगभग 200 ग्राम अधपचा पद्धार्थ मौजूद था "। इसके अलावा पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि मृतका की मृत्यु आधें से एक दिन होना सम्भव है। इसके अतिरिक्त पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्वारा प्रति परीक्षा के पेज–3 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मृतका की मृत्यु का मेरे द्वारा आधे से एक दिन समय अंकित किया गया है इसलिये यह मृत्यु सुबह के 4–5 बजे दिनांक 24–06–2012 को होना सम्भव है। यह भी सम्भव है कि मरने से 02 घण्टे पहले कुछ खाया पिया हो सकता है "। इस प्रकार पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्वारा मृतका की मृत्यु का समय दिनांक 24–06–2012 की सुबह चार–पांच बजे का बताया गया है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि यह तथ्य महत्वहीन है कि मृतका की मृत्यु किस समय हुयी। बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि महत्वपूर्ण यह है कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार एवं किन परिस्थितियों में हुयी। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्वारा पेज–3 पर दूसरी अंतिम पंक्ति में दिये गये साक्ष्य की ओर ध्यान आकृर्षित कराया गया है जो इस प्रकार है कि " मैनें पंचनामा व फोटोनाश का अवलोकन शव विच्छेदन से पूर्व कर लिया था। यह सही है कि उन दोनों प्रपत्रों में मृतका के हाथों की कलाई पर खून के धब्बे का उछाल होना लिखा है। यदि मृतका को मरने से पूर्व किसी चुन्नी आदि से उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिये हो तो उस पर खून के धब्बे के निशान आना सम्भव है। यह भी सम्भव है कि यदि मृतका के हाथ पीछे बांधकर व मुंह में कपड़ा ठूसकर व गर्दन में कपड़े का फंदा लगाकर लटकाने का प्रयास किया गया हो तो ऐसा लिगेचर मार्क आना सम्भव है। हाथों पर चूंकि निशान थे जो कि पंचनामें में वर्णित है और फोटोनाश में भी वर्णित है। एसफिसिया से मौत होना होमी साईडल और सुसाईडल दोनों ही केस में सम्भव है "। पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य के बारे में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि यदि मृतका के द्वारा आत्महत्या ही की जानी थी तो पंखे से चुन्नी के सहारे लटक कर आत्महत्या कर सकती थी आत्महत्या के समय मृतका के द्वारा अपने दोनों हाथ पीछे बांधने की कोई आवश्यकता नही थी जिस कारण मृतका के दोनों हाथों पर

खून के धब्बे एवं उछाल आ जाये यह व्यवहारिक रूप से भी सम्भव नही है कि आत्महत्या करने वाला कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथ पीछे से बांध कर आत्महत्या करे। यदि मृतका के हाथ पीछे से बंधे थे तो इसका कारण है कि मृतका ने अपने दोनों हाथ आगे या पीछे बंधवाने में किसी की मदद अवश्य ली होगी। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा बलपूर्वक कथन किया गया है कि आत्महत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त ढंग से आत्महत्या करने के लिये अपने हाथ आगे या पीछे बंधवाने की कोई आवश्यकता नही होनी चाहिये। पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्धारा यह साक्ष्य भी दिया गया है कि जिस प्रकार से मृतका की मृत्यु हुयी है, वह होमीसाईडल(Homicidal) एवं सुसाईडल(Suicidal) दोनों ही केस में सम्भव है किन्तु बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि प्रकरण को किसी भी प्रकार से सुसाईडल (Suicidal) नही माना जाना चाहिये क्योंकि मृतका के हाथों पर खून के धब्बों के जो निशान हैं। इन निशानों की प्रकृति में यह प्रकरण केवल और केवल होमीसाईडल (Homicidal) है।

24– इसके अतिरिक्त अलग–अलग समय पर अभियोजन साक्षीगण के द्धारा कभी यह कहा गया है कि सुसाईड नोट बैड पर मिला कभी कहा गया है कि मृतका की किताबों से ढूंढ कर निकाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक पी0डब्लू–7 उ0नि0 भूषण चंद मलिक का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है जो पेज–18 पर इस प्रकार है कि " यह कहना सही है कि लाश के पास बैड पर सुसाईड नोट पड़ा होना व किताबों में से ढूंढ कर सुसाईड नोट निकालने में बहुत अंतर है। मुझे किसी भी गवाह अर्थात वीरेन्द्र मलिक,श्रीमती गीता मलिक व नवीन मलिक में से किसी ने भी अपने बयान में कथित सुसाईड नोट किताबों में से ढूंढकर निकालने वाली बात नही बतायी थी। जब मैं लाश के पास पहली बार पहुंचा तो कोई कागज(सुसाईड नोट) बैड पर पड़ा हुआ नही दिखायी दिया। मैनें अपनी केस डायरी में ऐसा कहीं भी नही लिखा कि कोई सुसाईड नोट किताबों से ढूंढकर निकाला हो। मैनें मुख्य परीक्षा के पेज नम्बर –4 पर यह बयान दिया है कि जूही की किताब से सुसाईड नोट प्राप्त कर नकल की,यह बयान मैनें वादी के बताये अनुसार लिखा है "। उपरोक्त साक्ष्य में विवेचक पी0डब्लू–7 उ0नि0 भूषण चंद मलिक के द्धारा कहा गया है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक,पी0डब्लू–2 गीता मलिक व पी0डब्लू–3 नवीन मलिक ने सुसाईड नोट किताबों से ढूंढकर निकालने वाली बात नही बतायी थी तथा जब विवेचक पी0डब्लू–7 लाश के पास पहली बार पहुंचा तो कोई कागज या सुसाईड नोट बैड पर पड़ा हुआ नही दिखायी दिया। इस स्तर पर जब विवेचक पी0डब्लू–7 को वादी पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 के द्धारा विवेचना के दौरान यह नही बताया गया था कि सुसाईड नोट मृतका की किताबों से मिला और जब पहली बार विवेचक पी0डब्लू–7 लाश के पास पहुंचा तब उसे सुसाईड नोट बैड पर भी दिखायी नही दिया तब विवेचक पी0डब्लू–7 को यह सुसाईड नोट कहां से और किससे मिला, इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि विवेचक पी0डब्लू–7 के द्धारा सम्यक ढंग से विवेचना की ही नही गयी। विवेचक पी0डब्लू–7 के द्धारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य में आगे यह भी कहा गया है कि मैने केस डायरी में ऐसा कहीं नही लिखा है कि

कोई सुसाईड नोट किताब से ढूंढ कर निकाला गया हो। इसके अतिरिक्त उपरोक्त साक्ष्य में विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा आगे बताया गया है कि मैनें मुख्य परीक्षा के पेज–4 पर यह बयान दिया है कि जूही की किताब से सुसाईड नोट प्राप्त कर नकल की,यह बयान मैने वादी के बताये अनुसार ही लिखा है। इस स्तर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा विवेचना उस ढंग से नही की गयी जिस ढंग से एक विवेचनाधिकारी को विवेचना करनी चाहिये और विवेचक पी0 डब्लू–7 के द्वारा समस्त कार्यवाहियां यहां तक कि न्यायालय में साक्ष्य भी वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के प्रभाव व असर में दिया गया है। जबकि इसके विपरीत वादी पी0डब्लू–1 एवं विद्वान ए0डी0जी0सी0 ''फौज0'' द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **कर्नाटक राज्य बनाम के0यारप्पा रेडडी(2000)** पर विश्वास अभिव्यक्त किया गया है और कथन किया गया है कि विवेचक की लापरवाही या त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारण पीड़ित को न्याय से वंचित नही किया जा सकता है और न ही इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में ऐसा कोई उल्लेख नही किया गया है कि विवेचक की लापरवाही या त्रुटिपूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्त को नही मिलना चाहिए और पीड़ित को न्याय से वंचित नही किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में सम्बन्धित उल्लेख इस प्रकार है कि:–

PW-15 (Sub-Inspector) was asked during examination-in-chief about what happened on 30.1.1982, and he wanted to check up his records as he could not remember without refreshing his memory. But then the defence counsel seriously objected and wanted the court to disallow him from looking into such records. It is not clear whether the said objection was upheld or whether PW-15 was allowed to check up with the records of investigation.

Trial court cannot overlook the reality that an investigating officer comes to the court for giving evidence after conducting investigation in many other cases also in the meanwhile. Evidence giving process should not bog down to memory tests of witnesses. An investigating officer must answer the questions in court, as far as possible, only with reference to what he had recorded during investigation. Such records are the contemporaneous entries made by him and hence for refreshing his memory it is always advisable that he looks into those records before answering any question. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में सब–इन्सपैक्टर पी0डब्लू–15 की मुख्य परीक्षा के दौरान पूछे गये इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि– 30,जनवरी,1982 को क्या हुआ? इस प्रश्न के उत्तर के लिये पी0डब्लू–15 के द्वारा अपनी स्मृति ताजा करने के लिये अभिलेख की जांच करनी चाही लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा गम्भीर आपत्ति करते हुए उसे अभिलेख देखने से रोकने के लिए न्यायालय से कहा गया जिसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा माना गया कि न्यायालय के द्वारा साक्षी पी0डब्लू–15 को अभिलेख को देखने एवं स्मृति ताजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। विचारण न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि विवेचनाधिकारी विभिन्न प्रकरणों में विवेचना करते हैं और साक्ष्य देने के

समय स्मृति ताजा करने की आवश्यकता होती है और इस सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–159 में इसकी व्यवस्था भी की गयी है ''। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में ऐसा कुछ नही कहा गया है कि विवेचक की लापरवाही एवं त्रुटिपूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्त को नही दिया जा सकता है,जबकि इस प्रकरण में विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा केवल त्रुटिपूर्ण विवेचना नही की गयी है बल्कि विवेचना के नाम पर उसके द्वारा कुछ किया ही नही गया है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय में साक्ष्य के दौरान किस प्रकार से अभियोजन साक्षीगण के द्वारा यह साक्ष्य दिया जाना शुरू किया गया कि मृतका की किताबों में ढूंढने पर सुसाईड नोट मिला जब कि विवेचना पूर्ण होने तक किसी भी समय किसी भी स्तर पर यह बात पैदा ही नही हुयी थी कि मृतका की किताबो में ढूंढने पर सुसाईड नोट प्राप्त हुआ क्योंकि इस तथ्य का उल्लेख न तो तहरीर प्रदर्श क–1 में, न ही तथ्य के साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में आया है लेकिन जैसे ही न्यायालय में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होता है तो पहली बार न्यायालय में उसके द्वारा साक्ष्य दी जाती है कि मृतका की किताबों में ढूंढने पर उसे सुसाईड नोट मिला और जब पहली बार मुख्य परीक्षा में वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा यह साक्ष्य दे दिया गया कि उसके द्वारा किताबों में ढूंढने पर सुसाईड नोट मिला तब ऐसा ही अनुसरण अन्य अभियोजन साक्षीगण के द्वारा भी किया गया है और ऐसा अनुसरण न केवल तथ्यों के साक्षीगण द्वारा किया गया बल्कि विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा भी किया गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेचक को न्यायालय में सत्य साक्ष्य देनी चाहिये थी न कि वादी अथवा अन्य किसी साक्षी के कहने पर या उसके प्रभाव व असर में दी जानी चाहिये थी। इस स्तर पर विवेचक पी0डब्लू–7 का यह आचरण अत्यन्त आपत्ति जनक है। जो अभियोजन कथानक को भी धाराशायी कर देता है।

25– इसके अलावा विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा पेज–18 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैने दिनांक 24–06–2012 को केवल पंचायतनामा भरने का कार्य किया। मौजूद किसी व्यक्ति का बयान नही लिया न ही मैने घटनास्थल का निरीक्षण भी उस दिन किया "। इस प्रकार विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिनांक 24–06–2012 को उसके द्वारा किसी भी गवाह का बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 दर्ज नही किया गया। केस डायरी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 27–06–2012 को विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा वादी पी0डब्लू–1 एवं पी0डब्लू–2 के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 दर्ज किये गये। इसके अतिरिक्त दिनांक 24–06–2012 को विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी नही किया गया। क्या इस प्रकार से विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा की गयी विवेचना की कार्यवाही को न्यायोचित एवं तर्कसंगत माना जा सकता है। **Ganesh Bhavan Patel vs. State of Maharashtra 1978(4) SCC 371** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के माध्यम से अवधारित किया गया है कि:– **is an authority for the preposition that delay in recording of statements of prosecution witnesses u.s. 161 Cr.pc., although those witnesses were or could be available for examination when the investigating officer visited the seen of occurence or soon thereafter,**

would cast a doubt upon the prosecution case. इस प्रकार स्पष्ट है जब विवेचक पी0डब्लू–7 घटनास्थल पर पहुंचा तब पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 उसे वहां मिले। लेकिन पी0डब्लू–7 विवेचक के द्वारा दिनांक 24–06–2012 को इन दोनों के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 आसानी से दर्ज किये जा सकते थे,लेकिन नही किये गये। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। इसके अलावा विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि उसके द्वारा दिनांक 24–06–2012 को केवल पंचनामा भरने का कार्य किया गया। यदि पंचनामा प्रदर्श क–4 का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि पंचनामें प्रदर्श क–4 के प्रथम कॉलम–थाने में रिपोर्ट करने का दिनांक और समय जांच का आरम्भ किया जाना। वह स्थान जिसमें जांच करने वाला पदाधिकारी गया हो–पंचनामा प्रदर्श क–4 में इसके उत्तर में लिखा गया है कि दिनांक 24–06–2012 समय 13:30 पर इस प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज हुयी लेकिन पंचनामें की कार्यवाही आरम्भ किये जाने का समय इस कॉलम में नही लिखा गया है। इसी प्रकार पंचनामा प्रदर्श क–4 में वह स्थान,समय व दिनांक जबकि जांच की समाप्ति हुयी हो–इसके उत्तर में केवल दिनांक 24–06–2012 का उल्लेख किया गया है और पंचनामें की कार्यवाही समाप्त किये जाने का उल्लेख नही किया गया है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि विवेचक के द्वारा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नही किया गया है।

26– इसके अतिरिक्त विवेंचक पी0डब्लू–7 से प्रति परीक्षा किये जाने के समय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेज–18 पर प्रश्न पूछे गये हैं और उनके उत्तर भी विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा दिये गये हैं। जो इस प्रकार हैं " **प्रश्न–**आप विवेचना से क्या अर्थ समझते हैं? **उत्तर–** सही तथ्यों की जानकारी करना कि वादी जो आरोपित कर रहा है वह सही है या नही। **प्रश्न–** सत्यता जानने के लिये आप लोग विवेचना में क्या–क्या कार्य करते हैं? **उत्तर–** मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करते हैं और घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और जो साक्ष्य पाया जाता है,उसका केस डायरी में इन्द्राज करते हैं। **प्रश्न–** आंख बंद करके वादी के आरोप पर क्या यकीन करते हैं? **उत्तर–** नही,अपने तौर पर सच्चाई ढूंढते हैं "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा विवेचक की जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में बताया गया है। प्रति परीक्षा के अन्तिम पृष्ठ पर विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है। वह महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार है कि " कथित सुसाईड नोट किसकी राईटिंग में है, मैंने इसकी कोई जांच नहीं की। मुझे तो केवल वादी ने बताया था। मैंने अपनी केस डायरी में यह भी नहीं लिखा कि वादी ने मुझे यह बताया हो कि यह मृतका की राईटिंग में है। मुझे किसी अन्य गवाह ने भी यह बात नहीं बतायी कि कथित सुसाईट नोट मृतका के हस्तलेख में है। मैंने इस सुसाईड नोट के हस्तलेख का किसी एक्सपर्ट से भी परीक्षण अथवा मिलान नहीं कराया। मोबाईल किसकी आई०डी० पर था, मुझे नहीं पता। यह सही है कि प्रत्येक मोबाईल किसी न किसी की आई०डी० पर ही मिलता है। मुझे वादी वीरेन्द्र मलिक, उसकी पत्नी गीता व गवाह नवीन गोयल ने मुल्जिमान द्वारा जुही को मृत्यु के लिये उकसाने वाली बात नहीं बतायी। यह कहना गलत है कि मैं स्वंय व्यक्तिगत तौर पर इस मुकदमें में दिलचस्पी लेते हुऐ गलत तरीके से झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया हो "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–7 के द्वारा

बताया गया है कि कथित सुसाईड नोट किसकी राईटिंग में है, इसकी कोई जांच विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा नही की गयी। वादी के द्वारा विवेचक पी0डब्लू–7 को यह नही बताया गया कि सुसाईड नोट मृतका के हस्तलेख में है,यदि स्वंय विवेचक पी0डब्लू–7 का यह मानना है तब क्यों विवेचक के तौर पर काम करते हुये विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा यह जानने का प्रयास नही किया गया है कि सुसाईड नोट किसके हस्तलेख में है। इस प्रकार विवेचक पी0डब्लू–7 के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा किस प्रकार लाचारीपूर्ण ढंग से कहा जा रहा है कि उसे किसी ने कुछ नही बताया। अब प्रश्न यह उठता है कि विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा विवेचक के तौर पर विवेचना की गयी अथवा नही। विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में यह भी बताया गया है कि उसके द्वारा सुसाईड नोट का किसी हस्तलेख विशेषज्ञ से परीक्षण भी नही कराया गया है। इसके अलावा उपरोक्त साक्ष्य में आगे विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा कहा गया है कि विरेन्द्र मलिक, श्रीमती गीता मलिक व नवीन गोयल के द्वारा जूही को अभियुक्तगण के द्वारा मृत्यु के लिये उकसाने वाली बात भी नही बतायी गयी। यदि ऐसा मान भी लिया जाये तो विवेचक के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र क्यों न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस बात को स्पष्ट करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। यह बात भी पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है जो कार्य अभियोजन पक्ष के द्वारा नही किया गया उसे बचाव पक्ष के द्वारा किया गया है अर्थात बचाव पक्ष के द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ डी0डब्लू–2 एस0सी0 गुप्ता को बुलाकर सुसाईड नोट का परीक्षण कराया गया है। डी0डब्लू–2 एस0सी0 गुप्ता की रिपोर्ट प्रदर्श ख–1 के अन्त में पेज–9 पर उसके द्वारा जो राय व्यक्त की गयी है। वह इस प्रकार है "On the cumulative effect of the reasons stated above, I am of the opinion that the disputed English handwriting of JUHI MALIK marked as "D" has not been written by the writer of the admitted English hand writings of JUHI MALIK marked as "A1" to "A10". इस प्रकार डी0डब्लू–2 की राय से यह स्पष्ट है कि डी0डब्लू–2 के द्वारा परीक्षण के दौरान पाया गया कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जिस सुसाईड नोट को मृतका के हस्तलेख में होना बताया गया है,वह मृतका के हस्तलेख में नही है। यद्यपि वादी पी0डब्लू–1 व अभियोजन पक्ष के द्वारा कहा गया है कि डी0डब्लू–2 एस0सी0गुप्ता ने बचाव पक्ष से साज करके झूठी रिपोर्ट प्रदर्श ख–1 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। यहां यह स्पष्ट कर दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि सुसाईड नोट मृतका के हस्तलेख में था अथवा नही इसकी जांच स्वंय अभियोजन पक्ष के द्वारा ही करायी जानी चाहिए थी और यह भार अभियोजन पक्ष के द्वारा बचाव पक्ष पर नही डाला जा सकता था। यद्यपि वादी पी0डब्लू–1 व अभियोजन पक्ष के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि हस्तलेख विशेषज्ञ डी0डब्लू–2 एस0सी0 गुप्ता के साक्ष्य पर बिल्कुल भी विश्वास नही किया जाना चाहिये क्योंकि डी0डब्लू–2 के द्वारा बचाव पक्ष से साज करके अपनी रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसके सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय की **विधि व्यवस्था स्टेट (दिल्ली) (एडमिनिस्ट्रेशन) बनाम पालीराम निर्णीत 26,सितम्बर–1978** पर विश्वास अभिव्यक्त करते हुये कथन किया गया है कि यदि विवेचक के द्वारा वस्तु प्रदर्श–7 का

परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला या हस्तलेख विशेषज्ञ के द्वारा नही कराया गया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–73 के अंर्तगत स्वंय हस्तलेख का परीक्षण करना चाहिये अतः ऐसी स्थिति में डी0डब्लू–2 एस0सी0 गुप्ता के द्वारा दी गयी राय रिपोर्ट प्रदर्श ख–1 को न्यायहित में Drop किया जाता है और मृतका के द्वारा छोड़े गये सुसाईड नोट का परीक्षण मृतका के स्वीकृत हस्तलेख से मिलान द्वारा किया जाना आवश्यक हो गया है।

(i) बचाव पक्ष की ओर से कागज संख्या 86ख/11 ता 86ख/20 पर मृतका जूही मलिक के हस्तलेख में लिखे पत्र A–1 ता A–10 प्रस्तुत किये गये हैं,जो अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष दोनों के द्वारा स्वीकार किये गये हैं कि ये मृतका जूही मलिक के हस्तलेख में है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिस **वस्तु प्रदर्श–7 "सुसाईड नोट"** को जूही मलिक के हस्तलेख में होना बताया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में कथन किया गया है कि यह मृतका के द्वारा छोड़ा गया था। इस स्तर पर वस्तु प्रदर्श–7 एवं मृतका जूही मलिक के स्वीकार्य हस्तलेख A–1 ता A–10 में से कम से कम किसी एक दस्तावेज का मिलान वस्तु प्रदर्श–7 से किया जाना आवश्यक है। अतः मृतका के हस्तलेख ADMITTED A-2 का वस्तु प्रदर्श–7 से मिलान न्यायालय के द्वारा किया गया जा रहा है।

(ii) वस्तु प्रदर्श–7 में जहां–जहां Small "i" व "j" लिखा है। उसके उपर प्वाईण्ट (.) को जीरो (0) के रूप में दर्शाया गया है और लगभग 19 स्थान पर प्वाईण्ट (.) को जीरो (0) के रूप में दर्शाया गया है और सम्पूर्ण वस्तु प्रदर्श–7 में किसी भी स्थान पर "i" व "j" के उपर वर्णित जीरों (0) को प्वाईण्ट (.) के रूप में नही दर्शाया गया है जब कि अभिलेख ADMITTED A-2 में "i" व "j" के उपर किसी भी "i" व "j" के लिये जीरो (0) का प्रयोग नही किया गया है बल्कि मात्र प्वाईण्ट (.) का प्रयोग किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वस्तु प्रदर्श–7 मृतका के हस्तलेख में नही है।

(iii) इसके अतिरिक्त वस्तु प्रदर्श–7 में लगभग 10 स्थान पर Small "h" का उल्लेख किया गया है और हस्तलेख ADMITTED A-2 में जिस प्रकार से "h" को लिखा गया है,उसके अवलोकन करने से यह पता चलता है कि वस्तु प्रदर्श–7 में हस्तलिखित Small "h" मृतका के हस्तलेख में नही है।

(iv) इसके अलावा वस्तु प्रदर्श–7 में Small "m" के उपरी उल्टे लूप त्रिकोण के उपरी कोण के समान हैं जबकि दस्तावेज ADMITTED A-2 में लिखे गये Small "m" के उल्टे लूप के उपरी कोने पूरी तरह त्रिकोण के रूप में नही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वस्तु प्रदर्श–7 में लिखा गया Small "m" ADMITTED A-2 में लिखे गये "m" के समान नही हैं।

(v) वस्तु प्रदर्श–7 में जिस प्रकार से Small "g" लिखा गया है। उसका अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस Small "g" के Lower Part (नीचे वाला भाग) पूरी तरह से गोलाई लिये हुये नही है जबकि हस्तलेख ADMITTED A-2 में जितने स्थान पर भी Small "g" लिखा गया है। इस Small "g" का Lower Part (नीचे वाला भाग) गोलाई लिये हुये है। यद्यपि वस्तु प्रदर्श–7 में कुल 02 स्थान पर Small "g" का प्रयोग हुआ है और दूसरे Small "g" का Lower Part (नीचे वाला भाग) पहले Small "g" के मुकाबले में गोलाई लिये हुये है लेकिन किसी भी तरह से यह इस प्रकार से गोलाई लिये हुये नही है जिस प्रकार से ADMITTED A-2 में

अंकित Small "g" का Lower Part (नीचे वाला भाग) गोलाई लिये हुये हैं। इस प्रकार इस स्तर पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सुसाईड नोट वस्तु प्रदर्श–7 मृतका के हस्तलेख में नही है।

27– वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक एवं पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 24–06–2012 के पहले अभियुक्त हर्षित एवं उसके परिवार वालों के द्वारा मृतका के साथ ज्यादती की गयी जिसके परिणाम स्वरूप मृतका के द्वारा दिनांक 23–06–2012 एवं 24–06–2012 की रात्रि में अभियुक्तगण के उकसाने पर आत्महत्या कर ली गयी। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा ऐसा साक्ष्य मुख्य परीक्षा में पेज–6 पर इस प्रकार दिया गया है कि " रिशु वर्मा मेरी बेटी को बहन मानता था। मुझे फोन नम्बर 07599334103 से बताया था कि उसकी जूही से अक्सर बात होती रहती थी तथा जूही घटना से तीन–चार दिन पहले भी हर्षित व उसके मॉ–बाप के बुलाने पर उनसे मिलने हमसे चोरी छिपे उनके घर गयी थी। जूही ने रिशु को यह भी बताया था कि वह हर्षित से शादी करने वाली है जिसके लिये सब राजी हैं किन्तु जब जूही हर्षित के घर गयी थी तो हर्षित के पिता सुरेश ने अपने बेटे हर्षित की शादी किसी अन्य लड़की से करने की बात मेरी बेटी से कही थी जिससे जुही नाराज हुयी थी तथा उसने हर्षित व उसके माता पिता से अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो हर्षित ने अपने मॉ–बाप के सामने मेरी बेटी जूही को थप्पड़ मारा था। घटना से तीन–चार दिन पहले मेरी बेटी के हर्षित के घर जाने व हर्षित द्वारा उसे थप्पड़ मारने की बात मेरी पत्नि ने मुझे बतायी थी "। इसके अलावा इसी तरह का साक्ष्य वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा प्रति परीक्षा के पृष्ठ–23 पर भी दिया गया है जो इस प्रकार है कि " मैनें दरोगाजी को अपने बयान में यह बताया था कि मेरी बेटी ने मुझसे यह बताया था कि हर्षित लड़का है जो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। दरोगाजी ने मेरा पुनः बयान लिया था जिसकी तारीख मुझे याद नही है। यह कहना सही है कि रिशु के बताये अनुसार मैनें दरोगाजी को यह बयान दिया था कि मेरी बेटी ने उनको बताया कि वह हर्षित से शादी करने वाली है और सब राजी हैं। रिशु की और जूही की घटना से कितने पहले बात हुयी थी मैं नही बता सकता। स्वंय कहा कि रिशु ने मुझे घटना के बाद बतायी थी "। इसके अलावा वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य के समान ही पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा साक्ष्य दिया गया है जो मुख्य परीक्षा के पेज–2 पर इस प्रकार है कि " घटना के तीन–चार दिन पहले उसकी बेटी बहुत ज्यादा उदास थी तो उसने उससे पूछा जूही तू इतनी उदास क्यों है तो उसने उसके गले से लिपटकर रोते हुए कहा कि मम्मी हर्षित और उसके मम्मी पापा ने उसे अपने घर बुलाया था तथा हर्षित ने उसके मां–बाप के सामने उसके मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा, यह कहकर उसकी बेटी देर तक रोती रही "। इसके अलावा इसी बिन्दु पर प्रति परीक्षा के पृष्ठ–12 पर पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा साक्ष्य दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैं रिशु वर्मा को जानती हूं,पहले हम उपर–नीचे एक ही मकान में रहते थे। यह मकान मौहल्ला प्रभात नगर में था। इसी मौहल्ले में हर्षित भी रहता था। रिशु वर्मा से मेरी व जूही की बाते होती रहती थीं। घटना के समय रिशु वर्मा लखनऊ रहते थे। यह सही है

कि रिशु वर्मा ने मुझे घटना के तीन दिन बाद बताया था कि घटना से तीन दिन पहले जूही ने रिशु वर्मा से यह कहा था कि वह(जूही) हर्षित से शादी करने वाली है। यह बात हमें घटना से तीन दिन पहले पता नही थी। मुझे रिशु ने यह भी बताया था कि जूही ने उसे यह बताया था कि शादी के लिये सब राजी हैं। मुझे यह बात जूही ने चार दिन पहले बतायी थी (घटना से) कि वह हर्षित के मा–बाप व उसके बुलाने पर उनके घर गयी थी और हर्षित ने अपने मॉ–बाप के सामने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा था। यह बात मैनें दरोगाजी को अपने बयान में बतायी थी अगर उन्होनें नही लिखी तो मैं इसकी वजह नही बता सकती "। इस प्रकार पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा अपनी उपरोक्त मुख्य परीक्षा में बताया गया है कि घटना के तीन–चार दिन पहले मृतका अभियुक्त हर्षित के घर पर गयी थी जहां पर मृतका को अभियुक्त हर्षित की शादी अभियुक्त हर्षित के माता पिता द्वारा किसी अन्य से होने वाली बात पता चली जिस पर मृतका नाराज हुयी और अभियुक्त हर्षित ने मृतका को थप्पड़ मारा और यह सब बातें वादी पी0डब्लू–1 को रिशु वर्मा द्वारा मोबाईल फोन से बतायी गयी लेकिन वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक द्वारा पेज–23 पर यह बताया गया है कि मेरी बेटी ने बताया कि अभियुक्त उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है जबकि पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा मुख्य परीक्षा में पृष्ठ–2 पर उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में बताया गया है कि मेरी बेटी ने घटना के तीन–चार दिन पहले अभियुक्त की शादी और अभियुक्त हर्षित द्वारा उसे थप्पड़ मारने वाली बात बतायी थी,जबकि उपरोक्त बातों के सम्बन्ध में पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा अपनी प्रति परीक्षा के पृष्ठ–12 में बताया गया है कि रिशु वर्मा ने उसे इस घटना के तीन दिन बाद बताया था कि घटना के तीन दिन पहले मृतका ने रिशु से कहा कि मृतका एवं अभियुक्त हर्षित शादी करने वाले हैं। यह बात हमें घटना के तीन दिन पहले पता नही थी जबकि वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा अपनी उपरोक्त मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घटना के तीन–चार दिन पहले उपरोक्त बातें मृतका के द्वारा पी0डब्लू–2 गीता मलिक को बतायी गयी थीं। इस प्रकार उपरोक्त बिन्दु पर वादी पी0डब्लू–1 एवं पी0डब्लू–2 गीता मलिक के द्वारा दिये गये साक्ष्य में इतने अधिक गम्भीर विरोधाभास एवं विसंगतियां हैं कि उनके किस साक्ष्य पर विश्वास किया जाये और किस साक्ष्य पर नही यह बिल्कुल भी स्पष्ट नही हो पा रहा है जबकि इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि दिनांक 23–06–2012 की रात्रि तक वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक एवं पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक को इस बात की जानकारी हो गयी थी कि मृतका एवं अभियुक्त हर्षित शादी करने वाले हैं इसलिये मृतका जूही का गला दबाकर हत्या कर दी गयी और आत्महत्या का मामला वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा इस घटना को बना दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पी0डब्लू–1 एवं पी0डब्लू–2 के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0.सं0 विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा घटना के तीन दिन बाद अर्थात दिनांक 27–06–2012 को अभिलिखित किये गये हैं। यदि घटना के तीन दिन बाद भी पी0डब्लू–2 को उपरोक्त बातों के सम्बन्ध में पता चल गया था तो इन बातों का उल्लेख पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के द्वारा बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में किया जाना चाहिये था जबकि ऐसा बिल्कुल भी नही है। इसके अलावा यदि वादी पी0डब्लू–1 को घटना के तीन–चार दिन पहले इन

बातों के सम्बन्ध में अपनी पत्नी पी0डब्लू–2 या रिशु वर्मा से पता चल गया था कि अभियुक्त हर्षित ने जूही को थप्पड़ मारा था या अभियुक्त हर्षित की शादी अन्यत्र होने वाली थी तब इस सम्बन्ध में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा तो कम से कम दिनांक 24–06–2012 को विवेचक को बता देना चाहिये था या जब विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा दिनांक 27–06–2012 को वादी पी0डब्लू–1विरेन्द्र मलिक के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 दर्ज किये गये थे तो उस समय बता देना चाहिये था लेकिन ये बातें वादी पी0डब्लू–1 के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में नही हैं। इस प्रकार वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक व पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक दोनों के उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन कथानक और भी अधिक संदिग्ध हो जाता है। पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 के साक्ष्य से अभियोजन कथानक के संदिग्ध होने का कारण यह है कि पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 के द्वारा कभी भी विवेचक पी0डब्लू–7 को यह बात नही बतायी गयी कि मुल्जिमान के द्वारा मृतका को मृत्यु के लिये उकसाया गया है,क्योंकि ऐसा साक्ष्य स्वंय पी0डब्लू–7 विवेचक के द्वारा अन्तिम पेज पर दिया गया है।

(i) **<u>महावीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य दाण्डिक अपील संख्या 1141 सन 2007 में पारित निर्णय दिनांकित 09–11–2016</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि:–**

"It is the duty of the Apex Court to separate chaff from the husk and to dredge the truth from the pandemonium of Statements. It is but natural for human beings to state variant statements due to time gap but if such statements go to defeat the core of the prosecution then such contradictions are material and the Court has to be mindful of such statements . The case in hand is a fit case, wherein there are material exaggerations and contradictions, which inevitably raises doubt which is reasonable in normal circumstances and keeping in view the substratum of the prosecution case, we cannot infer beyond reasonable doubt that the appellant caused the death of the deceased." माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण में भी अभियोजन साक्षीगण विशेष रूप से वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक व पी0डब्लू–2 गीता मलिक के द्वारा साक्ष्य बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है जिससे उसमें इतने अधिक विरोधाभास एवं विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं जिससे यह तथ्य बहुत अधिक संदिग्ध हो जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा मृतका को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया गया अथवा उकसाया गया।

(ii) **<u>इसी प्रकार गणेश भवन पटेल व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य दाण्डिक अपील संख्या 64 सन 1974</u> में पारित निर्णय दिनांकित 18–10–1978 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि:–**

"All the infirmities and flaws pointed out by the trial Court assumed importance, when considered in the light of the all-pervading circumstance that there was inordinate delay in recording Ravji's statement on the basis of which the "F.I.R." was registered) and further

delay in recording the statements of Welji, Pramila and Kuvarbai. This circumstance, looming large in the background, inevitably leads to the conclusion, that the prosecution story was conceived and constructed after a good deal of deliberation and delay in a shady setting, highly redolent of doubt and suspicion." माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में अभियोजन कथानक पूर्णरूप से संदिग्ध हो जाता है।

(iii) जबकि इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा अंतिम पेज पर दिये गये साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है जो इस प्रकार है कि " मुझे रिशु वर्मा ने यह बयान दिया था कि जूही की हर्षित से शादी होने वाली है और सब तैयार हैं। यह बात घ टना वाली रात को ही हुयी थी। मुझे रिशु वर्मा ने यह भी बताया कि जूही लुक–छिपकर हर्षित से मिलने उसके घर जाती है "। इस प्रकार विवेचक पी0डब्लू–7 का यह कहना है कि रिशु वर्मा के द्वारा उसे यह बयान दिया गया था कि जूही से हर्षित की शादी होने वाली है और सब तैयार हैं। इस प्रकार विवेचक पी0डब्लू–7 के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका जूही एवं अभियुक्त हर्षित की शादी होने वाली थी। ऐसा बयान विवेचक पी0डब्लू–7 को रिशु वर्मा द्वारा दिया गया तथा यह बयान भी दिया गया कि सब तैयार हैं यानि अभियुक्त हर्षित एवं उसके माता पिता भी। इसका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त हर्षित एवं उसके परिवार पर कोई सन्देह नही किया जाना चाहिये कि ये लोग इस शादी के लिये तैयार नही थे। इसके अलावा विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में आगे यह भी बताया गया है कि ये बातें घटना वाली रात को ही हुयी थीं तात्पर्य यह है कि रिशु वर्मा द्वारा विवेचक को बताया गया था कि घटना वाली रात को ही यह सब बातें मृतका से हुयीं जिससे यह अनुमान निकलता है कि अभियुक्त एवं उसके परिवार की ओर से ऐसी कोई बात नही हुयी थी जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्त हर्षित अथवा उसके परिवार वालों के द्वारा घटना वाली रात को आत्महत्या करने हेतु कोई उकसाहट अथवा दुष्प्रेरणा मृतका जूही को दी गयी हो।

28– इसके अतिरिक्त घटना दिनांक 23/24–06–2012 की रात्रि की बतायी गयी है यद्यपि इसकी एफ0आई0आर0 दिनांक 24–06–2012 को समय 1:30 पी0एम0 पर थाने पर दर्ज हो गयी थी लेकिन सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय को इसकी चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–15 04 दिन पश्चात अर्थात दिनांक 28–06–2012 को प्रेषित की गयी। दिनांक 24–06–2012 को दर्ज हुयी इस प्रकरण की रिपोर्ट सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय को 04 दिन के पश्चात प्रेषित की गयी,जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **2004 (1) J.I.C.522 (SC) KUNJU M0HAMMED @ KHUMANI & ANR. V/S STATE OF KERALA जिसें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त–2003 को निर्णीत किया गया है,** उसमें माननीय न्यायालय द्वारा थाने पर 36 घण्टे बाद प्रेषित की गयी एफ0आई0आर0 को विलम्ब से प्रेषित किया गया माना गया है जबकि इस प्रकरण में एफ0आई0आर0 04 दिन बाद प्रेषित की गयी है। जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

29– इसके अलावा बचाव पक्ष की ओर से साक्षी डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर

सुभाष चंद जौहर को परीक्षित कराया गया है। डी0डब्लू–1 द्वारा मुख्य परीक्षा में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैं उपरोक्त कोठी मे सन् 1960 से रह रहा हूं जिसका मैं मालिक हूं। मेरी इस कोठी में मेरे बराबर के एक पोरशन में वीरेन्द्र मलिक एडवोकेट मेरे किरायेदार हैं। वीरेन्द्र मलिक के परिवार में उनकी पत्नी एक बेटा है तथा एक बेटी जूही मलिक भी थी। जूही मलिक पढ़ती थी। मुल्जिम हर्षित वीरेन्द्र मलिक एड० के घर आता जाता रहता था। यह लडका गीता मलिक व जूही मलिक के साथ वैष्णो देवी भी गया था। मुझे यह जानकारी है कि जूही व हर्षित आपस में प्यार करते थे। वीरेन्द्र मलिक के किरायेदारी में तीन कमरे एवं एक कोर्टयार्ड है। दिनांक 24.06.2012 को करीब सुबह करीब 08.30 बजे मैं व मेरी पत्नी अपने बरामदे में बैठे हुये चाय पी रहे थे कि तभी गीता मलिक हमारे बरामदे में आयी और कहा कि मेरी बेटी जूही मर गयी। इस पर मैं और मेरी पत्नी वीरेन्द्र मलिक के मकान में गये, तो जाकर देखा कि छोटे वाले कमरे में जूही बेड पर मरी पडी थी। मैने पूछा कैसे मर गयी तो वीरेन्द्र ने बताया कि इसने आत्महत्या करली, जब मैं कमरे में गया था तो जूही की लाश के पास कोई कागज किताब या कापी उसके बेड पर नहीं थी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, कमरें में जो छत का पंखा लगा था उस पर कोई कपडा चुन्नी या रस्सी भी नही बंधी थी तो मैनें वीरेन्द्र मलिक को कहा कि पुलिस को सूचना दे दी क्या तो उन्होंने कहा कि आप दे दीजिये। मैनें जूही मलिक को लेटे हुये देखा तो वह टी शर्ट और लोवर पहने हुये थी इस समय उसे टी–शर्ट और लोवर का रंग ध्यान नहीं है उसके दोनों हाथों की कलाईयो पर (BRUISES) के निशान थे। उस समय उनके घर में वीरेन्द्र मलिक, गीता मलिक के अलावा उनका छोटा बेटा ही था अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। मैनें एस०एच०ओ० सदर बाजार को इस घटना की सूचना टेलीफोन से दी थी। सदर थाने की पुलिस लगभग नौ सवा नौ बजे आ गयी थी तब तक बाहर का कोई व्यकित वहाँ नही आया था। पुलिस के आने के पश्चात मैं और मेरी पत्नी वहाँ से चले गये थे जब मैं गीता मलिक के साथ जूही के कमरे में गया था तो उसका दरवाजा खुला हुआ था, उसका दरवाजा या कुण्डा तोडने के बारे में मुझे किसी ने नही बताया, इस जूही वाले कमरे की उँचाई लगभग सात साढे सात फिट है "। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य के विपरीत डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर के द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 24–06–2012 की सुबह समय 8:30 बजे पी0डब्लू–2 गीता मलिक के द्वारा डी0डब्लू–1 के घर आकर यह बता दिया गया था कि उसकी पुत्री मर चुकी है और इस पर डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर एवं उसकी पत्नि के द्वारा पी0डब्लू–2 गीता मलिक के घर जाकर देखा गया। डी0डब्लू–1 के द्वारा पूछे जाने पर वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक ने बताया कि मृतका जूही ने आत्महत्या कर ली है। डी0डब्लू–1 को लाश के पास कोई किताब या कागज बैड के पास नही मिला। इस प्रकार अभियोजन कथानक के विपरीत डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर द्वारा साक्ष्य दिया गया है। डी0डब्लू–1 के द्वारा ही घटना की सूचना फोन से पुलिस को दी गयी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन द्वारा डी0डब्लू–1 से विस्तारपूर्वक जिरह की गयी है किन्तु वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य डी0डब्लू–1 से0नि0 बिग्रेडियर सुभाष चंद जौहर से नही निकलवाया जा सका जिससे यह साबित हो सके कि पी0डब्लू–2 श्रीमती गीता मलिक के बताने पर सुबह समय 8:30 बजे डी0डब्लू–1 उसके घर न गया हो अर्थात डी0डब्लू–1 की उपस्थिति वादी पी0डब्लू–1 के घर पर मृतका की लाश के

पास न साबित करनें में अभियोजन पक्ष पूर्ण रूप से असफल रहा है जबकि डी0डब्लू–1 के द्वारा अभियोजन पक्ष के विपरीत साक्ष्य दिया गया है। लेकिन वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक जो कि स्वंय विद्वान अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा बलपूर्वक कथन किया गया है कि डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर मौके पर उस जगह तक नही पहुंचे थें जहां पर मृतका जूही की लाश पड़ी हुयी थी बल्कि डी0डब्लू–1 केवल उसके घर तक गये थे और वहां से वापस अपने घर चले गये थे, किसी भी प्रकार से डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर मृतका जूही की लाश के पास तक बिल्कुल नही पहुचें थे किन्तु वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा किये गये इस कथन को बिल्कुल भी तर्कसंगत नही माना जा सकता है क्योंकि स्वंय पी0डब्लू–2 गीता मलिक के द्वारा पेज–7 पर यह साक्ष्य दिया गया कि डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर मौके पर उस जगह तक पहुंचे थे जहां पर मृतका जूही की लाश पड़ी हुयी थी। पी0डब्लू–2 गीता मलिक द्वारा पेज–7 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जिस समय जूही को बैड पर लिटाया तो बैड पर कोई कागज या कथित सुसाईड नोट वहां नही दिखायी दिया। हम सब लोग रोने धोने लगे। हमारे इस रोने धोने के कुछ समय बाद ही जौहर साहब अपनी पत्नी के साथ आ गये थे। काफी लोग उस समय आ गये थे संख्या मैं नही बता सकती कि 20 थे या 50 थे। सब लोगों ने लड़की की मृत्यु के बारे में पूछा हमने बताया कि सुसाईड कर लिया "। इस प्रकार पी0डब्लू–2 गीता मलिक के उपरोक्त साक्ष्य से डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर की उपस्थिति उस स्थान पर सुनिश्चित हो जाती है जहां पर मृतका की लाश थी। इसके अलावा जैसा कि उपरोक्त साक्ष्य पी0डब्लू–2 के द्वारा दिया गया है, पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के द्वारा भी ऐसा साक्ष्य दिया गया है जिससे डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर की उपस्थिति मृतका जूही की लाश के पास सुनिश्चित हो जाती है। वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक द्वारा दिया गया साक्ष्य पेज–22 पर इस प्रकार है कि " मेरी रिपोर्ट लिखाने से पहले मौके पर ब्रिगेडियर साहब व अन्य पंचान आ गये थे। बलवीर सिंह ब्रिगेडियर साहब एस.के. जौहर ने डैड बॉडी को उतरवाने में मेरी कोई मदद नही की। मृतक जूही मलिक की लाश उतारने में मेरी पत्नी गीता मलिक व नवीन गोयल की क्या भूमिका थी,मैं नही बता सकता "। इस प्रकार वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक के उपरोक्त साक्ष्य से भी डी0डब्लू–1 से0नि0 ब्रिगेडियर सुभाष चंद जौहर की उपस्थिति मौके पर साबित हो जाती है भले ही मौके पर डी0डब्लू–1 ने मृतका जूही की लाश को फंदे से उतरवाने में वादी पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक की कोई मदद न की हो।

30– इस प्रकार तथ्यों एवं साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा मृतका जूही मलिक को तथाकथित घटना की रात्रि की दिनांक को ऐसी कोई दुष्प्रेरणा या उकसाहट नही दी गयी थी जिससे कि मृतका आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाती स्वंय **माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दाण्डिक अपील नम्बर 2091 सन 2009 AMALENDU PAL ALIAS JHANTU V/S STATE OF WEST BENGAL (2010)1 SCC 707 निर्णीत 11,नवम्बर 2009 की विधि व्यवस्था में अवधारित किया गया है किः–**

"Before holding an accused guilty of an offence under Section

306 IPC, the court must scrupulously examine the facts and circumstances of the case and also assess the evidence adduced before it in order to find out whether the cruelty and harassment meted out to the victim had left the victim with no other alternative but to commit suicide. It is also to be borne in mind that in cases of alleged abetment of suicide there must be proof of direct or indirect acts of incitement to the commission of suicide. Merely on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused which led or compelled the person to commit suicide, conviction in terms of Section 306 IPC is not sustainable."

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में जैसा आरोप अभियोजन पक्ष के द्वारा लगाया गया है,वह पूर्ण रूप से संदिग्ध साबित हो रहा है। जबकि इसके विपरीत विवेचक पी0डब्लू–7 के साक्ष्य से यह साबित हो चुका है कि घटना वाली रात को रिशु वर्मा व मृतका के मध्य मोबाईल से बात हुयी थी कि मृतका व अभियुक्त हर्षित विवाह करने वाले हैं और सब तैयार हैं। विवेचक पी0डब्लू–7 के द्वारा ऐसा स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि ये सब बाते उसे रिशु वर्मा के द्वारा बतायी गयी थीं। इसके विपरीत उपरोक्त बिन्दु पर पी0डब्लू–1 विरेन्द्र मलिक व पी0डब्लू–2गीता मलिक द्वारा असत्य साक्ष्य दिया गया है कि घटना वाली रात के पहले मृतका अभियुक्त हर्षित के घर पर गयी वहां उसे पता चला कि हर्षित के माता पिता हर्षित की शादी कहीं और करना चाहते हैं,जिस पर मृतका नाराज हुयी और हर्षित के द्वारा मृतका को थप्पड़ मारा गया। इस बिन्दु से सम्बन्धित तथ्यों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा पी0डब्लू–6 डा0 देवी दास के द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कहा गया है कि मृतका के हाथों पर जो खून के धब्बों के निशान थे वे मृतका को तब आ सकते थे जबकि मृतका के हाथ बंधे हों। **माननीय उच्चतम न्यायलय की विधि व्यवस्था शरद विरधी चन्द्र शारदा बनाम महाराष्ट् राज्य ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1622 में अवधारित किया गया है किः–**

" गम्भीर जितना अपराध होगा,उतना अधिक सबूत का मानदण्ड होना चाहिए। अभियुक्त सन्देह के आधार पर दोषी होना प्रतीत होना हो सकता है किन्तु वह विधिक सबूत की कोटि में नही आता। जब साक्ष्य पर दो सम्भाव्यतायें उपलब्ध हैं या खुली हैं,जिनमें से एक अभियोजन के पक्ष में और दूसरी अभियुक्त के लाभ के लिये है,तो अभियुक्त निःसन्देह सन्देह के लाभ का हकदार है। सिद्धान्त की विशेष सुसंगति है,जहां अभियुक्त के अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित की जाने की अपेक्षा की जाती है "।

(ii) **इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की ही विधि व्यवस्था आनंद रामचन्द्रा छोगले बनाम सिदराई लक्ष्मण छोगले (2019) 8 एस.सी.सी. 50 निर्णीत दिनांकित 06–08–2019 में अवधारित किया गया है किः–**

The burden lies on the prosecution to prove the allegation beyond all reasonable doubt. In contradiction to the same, the accused has only to create a doubt about the prosecution case & the probablity of its defence. An accused is not required to establish or prove his defence beyond all reasonable doubt, unlike the prosecution. If the accused takes a defence, which is not improbable & appears likely, there is material in support of such evidence, the accused is not required to proved anything further. The benefit of doubt must follow unless the prosecution is able to prove its case beyond all reasonable doubt.

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

31– अभियोजन पक्ष के जिन साक्षीगण के साक्ष्यों का उपरोक्त ढंग से जो विश्लेषण किया गया है,उसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता नही है। इसके अतिरिक्त विद्वान सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौज0'' की ओर से 04 पृष्ठों की जो लिखित कथन 163ख प्रस्तुत किये गये हैं,उनका विश्लेषण किये जाने की भी कोई आवश्यकता नही है क्योंकि इस लिखित कथन कें डी0डब्लू–1 से0नि0 बिग्रेडियर सुभाष चंद जौहर के साक्ष्य की विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है, सन्देह के लाभ के बिन्दु,चिकित्सीय साक्ष्य आदि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित कथन में विवेचक के द्वारा बरती गयी लापरवाही से सम्बन्धित **कर्नाटक राज्य बनाम के0यारप्पा रेडडी (2000)** पर विश्वास अभिव्यक्त किया गया है कि विवेचक की लापरावाही या त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारण पीड़ित को न्याय से वंचित नही किया जा सकता और न ही इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये,इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था का उल्लेख निर्णय में पूर्व में ही किया जा चुका है।

32– विधि शास्त्र का यह सिद्धान्त कि अभियोजन को अपने कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होगा। उपरोक्त तथ्य जो प्रकाश में आये हैं उससे स्पष्ट है कि अभियोजन ने अपने दायित्व को पूर्ण रूप से नही निभाया है तथा अभियोजन की कमियों का लाभ अभियुक्त को ही दिया जायेगा। इसी अनुक्रम में यदि दो मत न्यायालय के समक्ष हों तथा साक्षीगण के कथन विरोधाभासी हों तो सन्देह का लाभ् अभियुक्त के पक्ष में दिया जाना कहा गया है। अभियुक्त को तभी दण्डित किया जा सकता है जब कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे हो। साक्षीगण के साक्ष्य से घटना में विरोधाभासी कथन प्रस्तुत किया जाये तो घटना में सन्देह उत्पन्न होता है। प्रश्नगत प्रकरण में भी तहरीर तथा उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये उसमें विरोधाभास परिलक्षित हो रहा है जिस कारण अभियोजन कथानक सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

33– इस प्रकार अभियोजन पक्ष पेश साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण हर्षित पुत्र सुरेश कुमार वर्मा,श्रीमती बीना पत्नी सुरेश कुमार वर्मा व सुरेश कुमार वर्मा पुत्र शिवदत्त वर्मा के

विरूद्ध धारा 306 भा०द०सं० के अंर्तगत लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्ण रूपेण असफल रहा है। अभियुक्तगण उन पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 1190 सन 2012 में अभियुक्त हर्षित पुत्र सुरेश कुमार वर्मा को धारा 306 भा०द०सं० के अंर्तगत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 256 सन 2014 में अभियुक्तगण श्रीमती बीना पत्नी सुरेश कुमार वर्मा व सुरेश कुमार वर्मा पुत्र शिवदत्त वर्मा को धारा 306 भा०द०सं० के अंर्तगत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण हर्षित पुत्र सुरेश कुमार वर्मा, श्रीमती बीना पत्नी सुरेश कुमार वर्मा व सुरेश कुमार वर्मा पुत्र शिवदत्त वर्मा जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

धारा 437A द०प्र०सं० के अंर्तगत अभियुक्तगण(प्रत्येक) अंकन 25,000-25,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का 01- 01 प्रतिभू 10 दिवस की अवधि में इस आशय की निष्पादित व दाखिल करें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध अपील होती है तो वे नोटिस पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष स्वंय को प्रस्तुत करेगें ।

माल मुकदमाती वस्तु प्रर्दश-1 लगायत वस्तु प्रदर्श-12 मियाद अवधि तक सुरक्षित रखे जायें। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार तथा अपील न होने की स्थिति में बाद मियांद अपील उन्हें नियमानुसार विनष्ट किया जाये।

निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 256 सन 2014 राज्य बनाम श्रीमती बीना व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक 23-06-2026

(राकेश कुमार-पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०-1
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 23-06-2026

(राकेश कुमार-पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०-1
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.06.24 11:13:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court